

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 49)

[27 दिसंबर, 2016]

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभियान और
ठसमें संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को
प्रभावी बनाने के लिए
अधिनियम

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, 13 दिसंबर, 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभियान को
अंगीकृत किया था;

और पूर्वोक्त अभियान दिव्यांगजनों के सशक्तिकारण के लिए निम्नलिखित मिश्नांत आधिकारित जरूरत
है—

(क) अंतर्राष्ट्रीय नरिचा, देवकिराज इवायलता के लिए आदर, जिसके अंतर्गत कियों ज्ञानित की
रखने की प्रक्रिया को स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता में है;

(ख) जालियों;

(ग) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समिलित होना;

(घ) मानवीय वेदभाव और सान्तता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों की भिनता के लिए आदर
और उनका ग्रहण;

- (३) भवित्वर की समन्वया;
- (४) पद्धति;
- (५) मुख्यों और स्थिरों के चेंच समझा;
- (६) दिव्यांग व्यक्तिगती को अपनी हुई क्षमता के लिए आदर और दिव्यांग व्यक्तिगती को पहचान प्रोत्साहित करने के उनके अधिकार के लिए आदर;

और भारत उक्त अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है;

और भारत ने, १ अक्टूबर, २००७ को उक्त अभिसमय का अनुमत्यान किया था;

जैसे पूर्वीला अभिसमय को कार्यान्वयन करता अवश्यक जागड़ा जाता है।

भारत (गणराज्य के सड़कस्टर्चे वर्द में भाराद् द्वारा निम्नान्वित १५ में यह अधिनियमित हो)।—

अध्याय १

प्रारंभिक

संवित राज्य
नियमान्वयन।

परिचयान्वयन।

१. (१) इस अधिनियम का व्यक्तिगत नाम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६ है।
- (२) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिष्ठान द्वारा, नियत करे।
२. इस अधिनियम में, लक्ष तक जिस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "अपेक्षित ग्राहितारी" से, यान्त्रिकीय भारा १४ को उपरान्त (३) या भारा ५३ को उपरान्त (४) के अधीन आधिकारिक जागरा ५४ को उपरान्त (५) के अधीन आधिकारिक ग्राहितारी अधिष्ठेत है।
 - (ख) "समुचित सरकार" से,—
 - (i) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या वर्तमान रूप से वित्तान्वयन किसी स्थापना या लावनी अधिनियम, २००६ के अधीन गतिशील फिल्म लावनी बोर्ड के संबंध में, केन्द्रीय सरकार, २००६ का १।
 - (ii) जोई गत्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या सातवान् रूप से वित्तान्वयन किसी स्थापना या लावनी बोर्ड से गतिशील फिल्म लावनी अधिकारी के संबंध में गत्य सरकार,
- अधिष्ठेत है;
- (ग) "ऐड" से ऐला बोइ कारक अधिष्ठेत है जिसमें भाग्यनामिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणात्मक, संस्कृतिक, सामाजिक, भाव संबंधी या अवसंरचनात्मक जारक भवित्वलित है जो लमाज में दिव्यांगजनों को नुस्खे और प्रधारी भासीदारी को देता है;
- (घ) "देख-रेख कर्ता" से माता-पिता और कुटुंब की अन्य सदस्यों द्वारा ऐसा व्यक्ति अधिष्ठेत है जो संखार करने पर या उसके बिना, किसी दिव्यांगजन को देख-रेख, महारा या सहायता देता है;
- (ङ) "प्रमाणकर्ता प्राधिकारी" से आगा ११ को उपरान्त (१) के अधीन अधिहत प्राधिकारी अधिष्ठेत है;
- (ज) "संसूचना" में संसूचना के उपाय और रूप विधान, आवारं, पाठ का प्रदर्शन, लक्षणों लेख, सांशेदीय संसूचना, संकेत, बहु भुद्धि, पहुंच गोप्य मल्टीमीडिया, लिखित, छवि, विडियो, दुष्य, प्रदर्शन, संकेत भाषा, लग्न भाषा, हथूमान-रीडर, संवादित तथा अनुकूलपी पढ़ने और पढ़ने योग्य जानकारी और संसूचना प्रौद्योगिकी समिलित है;
- (झ) "साक्षम प्राधिकारी" से आगा ११ के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी ओधिष्ठेत है;
- (ज) दिव्यांगजन के संबंध में "विषेद" से दिव्यांगजन के आधार पर कोई विषेद, अववर्तन, निर्वाचन अधिष्ठेत है जो गतिवितक, अर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लिखित या किसी अन्य रूप में मध्ये भानव

अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के संबंध में अन्य व्यक्तियों के साथ किसी सामान्य आधार पर मान्यता, उपभोग या प्रयोग स्वीकृत करने या अद्वृत करने का प्रयोजन या प्रभाव है और विषयके अंतर्गत सभी ग्रवार के विशेष और चुकित्सक सुविधाओं या प्रत्याख्यान भी हैं;

(इ) "स्थापन" के अंतर्गत कोई सरकारी और प्राइवेट स्थापन भी है;

(ज) "निधि" से आगे ४६ के अधीन गठित राष्ट्रीय निधि अभियंत है;

(ट) "सरकारी स्थापन" से कोन्दी या अधिनियम या राष्ट्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन घोषित वोइ नियम या संसदीय विधायिका या कलनों अधिनियम, २०१३ की भाग २ में जया परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या मान्यता प्राप्त कोई प्राधिकरण या नियाय अभियंत है और विषयमें सरकार का कोई विभाग भी सम्मिलित है

(ड) "ठच्च सहायता" से शारीरिक, नानसिक और आन्यथा ऐसी गहन महायता अभियंत है जो देशिक क्रियाकलाप के लिए संदर्भित दिव्यांगजन द्वारा जीवन के दशी शेत्रों में विषयके अंतर्गत रिक्षा, नियोजन, कर्तृत और सामुदायिक जीवन और व्यवहार तथा रोगीपाल भी है, जहाँ सुनिधार और भागोदरी के लिए स्वतंत्र और चुकित्सक विनियोग लेने के लिए अपेक्षित हो सकेंगी;

(ड) "मन्मिलित विकास" से ऐसे विकास पद्धति अभियंत है जिसमें दिव्यांगता और दिव्यांगता सहित आवश्यक साथ वित्त उठाने हैं और विकास और विकास की पद्धति विभिन्न प्रकार के दिव्यांग लोगों की विकास की आवश्यकताओं की पुर्ति के लिए ढांचत रूप से अनुकूलित का गई है;

(इ) "सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" के अंतर्गत सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित दर्दी सेवा और नव परिकारन भी हैं जिसके अंतर्गत २०१३ का १० वेताएं, वेत्र आधारित मेवा, इलेक्ट्रॉनिक और नुक्सान सेवाएं, डिजिटल और परोक्ष सेवाएं भी हैं;

(ए) "संस्था" से दिव्यांगजनों के लिए प्रवेश देख-रेख, संस्था, विकास, प्रशिक्षण, दुनियां और किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए कोई संस्था अभियंत है;

(न) "स्थानीय प्राधिकरण" से संविधान के अनुच्छेद २४३के खंड (ट) और खंड (च) में दिव्यांगजनों का वर्णन आधिनियम, २०१६ के अंतर्गत गठित छवती बोर्ड, और नागरिक क्रियाकलापों का प्रशासन करने के लिए संसद् या इन्हीं तात्पर्य विभान-मंडल के अधीन स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण अभियंत है;

(व) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभियंत है और "अधिसूचित कारण" या "अधिसूचित" पद का अर्थ तदुम्भार लागता जाएगा।

(ट) "संदर्भित दिव्यांगजन" से प्रवासकर्ता प्राधिकरण द्वारा गधाप्रगणीकृत, विनियोग दिव्यांगता के चालोंस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभियंत है, जहाँ विनियोग दिव्यांगता अध्युक्तों निवधानों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी संमिलित है जहाँ विनियोग दिव्यांगता, प्रमाणकता प्राधिकरण द्वारा वर्धप्रगणीकृत अध्युक्तों निवधानों में परिभाषित की गई है;

(घ) "दिव्यांगजन" से ऐसी दीर्घकालिक सांस्कृतिक, मानसिक, वीदिक या संवेदी सुनि चाला व्यक्ति अभियंत है जिसमें बाधाओं का सामने में अन्य ज्ञातियों के साथ भगान रूप से समाज में गुण और प्रभावों भागीदारी में रुकावट उत्पन्न होती है;

(ङ) "उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाला दिव्यांगजन" से भाग ५५ की उपधार (२) के लाड (क) के अधीन प्रगणित संदाचरित दिव्यांगजन अभियंत हैं, जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है;

(प) "विहेत" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विषयमें द्वारा विहित अभियंत है;

(फ) "प्राइवेट स्थापन" से कोई अपनी, फर्म, लड़कारी या इन्ह मेंस इटी, लंगम, ज्याप, अधिकरण सम्पर्क, संगठन, संघ, कारखाना या ऐसा कोई अन्य स्थापन जो समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनियोग द्वारा:

(ब) "सार्वजनिक भवन" से कोई सरकारी या नियोजित भवन जो अत्यधिक जनता द्वारा उपयोग किया जाता है या उनकी पहुंच में है, जिसमें अंतर्गत शैक्षणिक या व्यापाराधिक प्रदीर्घों के कार्य स्थल, जापानिश्चिक क्रियाकलापों, सार्वजनिक मुनियाड़ी, बार्मिंग, मास्क्वीटिक, अलहारा या मोरेजन क्रियाकलापों, चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाओं, विधि प्रबन्धन अधिकरणों, सूचाराम्भ या न्यायिक कोरम, रेलवे रेशनों या प्लोटफार्मों सहूक एवं इन बस स्टैंडों या टर्मिनल, विमानपर्सनों या जलवाया के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन भी हैं;

(स) "सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं" के अंतर्गत यह भवन पर जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए लाये जाते हैं जिसके अंतर्गत आवास, शिक्षा या शृंखल प्रशिक्षण, नियोजन और वृक्षांक उन्नयन, विक्रय लकड़ा या विषय केन्द्र, बार्मिंग, मास्क्वीटिक, अलहारा या मोरेजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पुनर्वासा, बैंकों, बिल और बोगा, संचार, ड्रक और मूल्यना, न्याय तक पहुंच, सार्वजनिक उपयोगिता, परिवहन भी हैं;

(म) "सुनिश्चित आवास" से दिल्लीगजनों के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ अधिकारों के उपर्योग या उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, किसी विशेष दस्ता में, अननुमतिक या अन्यथा बंद और पुनर्वासा, बैंकों और समुचित उपयोगण तथा ममतोजन आधिकृत हैं;

(४) "रजिस्ट्रीकृत संगठन" से संघर्ष या किसी साम्य विधान-मंडल के अधिनियम के अधीन सम्बन्धीय रूप से रजिस्ट्रीकृत दिल्लीगजनों का बोई संगम या दिल्लीगजन संगठन, दिल्लीगजनों के माता-पिता के लिए, दिल्लीगजनों और कुटुंब के सदस्यों का संगम या संघिता या गैर-सरकारी या नृत संगठन या न्यास, सोसाइटी या दिल्लीगजनों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली अलाभकारी कंपनी अधिकृत है;

(यक) "पुनर्वास" से दिल्लीगजनों को, अनुकूलता, शारीरिक, संवेदी, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, एवं विज्ञानीय या सामाजिक कार्य के लिए योग्य को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने में समर्थ बनाने के लिए सोहौं प्रयोग निश्चित है;

(यद) "विशेष रेजिस्ट्रेशन कार्डिनेश्य" है—

(i) ऐसे व्यक्ति की संख्या में जो दिल्लीगजनों में से कार्यालयों की नियामा चाहते हैं;

(ii) ऐसे संदर्भीय दिल्लीगजन के संख्या में जो नियोजन चाहते हैं;

(iii) ऐसी विकासों के संख्या में जिन पर संदर्भीय दिल्लीगजन विधेयन चाहते हैं, नियुक्त किए जा सकेंगे।

रजिस्टर संखे हुए का अन्यथा मूलना एकांकित करने या मूल्यना देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुमतिने कोई कार्यालय या स्थान अधिकृत है;

(यग) "विनिर्देश दिल्लीगजन" से अनुसूची में दृष्टि विनिर्देश दिल्लीगजाएं अधिकृत हैं;

(यघ) "परिवहन प्रणाली" के अंतर्गत सड़क, परिवहन, रेल पारिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन अंतिम तक संचालन के लिए सह-अधिकृत प्रणाली, सड़क और गली अवधारणा आते हैं;

(यज) "शारीरिकों दिल्लीगजन" से यांत्री लोगों द्वारा अनुकूलन या विशेष दिल्लीगजन को आवश्यकता ले जिन अधिकृत संघर्ष सीमा तक उपयोग। किए जाने वाले उपयोग, नावायारणी, ज्ञारेझानों की दिल्लीगजन और सेतारा अधिकृत हैं और जो दिल्लीगजनों के विशेष समूह के लिए उनके जीवोंगजियों महिल सहायक वृक्षाओं पर लग जाती हैं।

अध्याय 2

अधिकार और हकदारियाँ

साधा दीर्घ अवधि-

3. (1) समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करेगो कि दिल्लीगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, नियम के साथ जीवन के और उनको सत्यान्वय के लिए सम्मान के अधिकार ला देंगों करें।

(2) समुचित सरकार, समुचित वातावरण प्रदान करके दिल्लीगजनों को शमला का उपयोग करने के लिए उपयुक्त करेगों।

(3) किसी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता को आधार पर तब तक चिपटें नहीं किया जाएगा जब तक कि उत्तरांशित नहीं कर दिया जाता है कि आकृतित बृत्य या लोप, विधिसंगत ड्रेस्य को प्राप्त करने का आनुगतिक संधारण है।

(4) कोइ ज्ञाति के बल दिव्यांगता के आधार पर उसकी विवाहकाक स्वतंत्रता से विचित्र नहीं किया जाएगा।

(5) समुचित सरकार लिए चुनकायुक्त आवासों मुनिशिका करने के लिए आवश्यक उपयोग।

4. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिशिका करने का उपाय करें कि दिव्यांग लड़कों और लड़काएँ अन्य लोगों को भाँति समाज रूप से अपने अधिकारों का उपयोग करें।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह मुनिशिका करें कि सभी दिव्यांग लड़कों को उनको प्रभावित करने जाने सभी विधयों पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने का किसी समर्थन अधार पर आविकार होगा और उनकी आयु और दिव्यांगता को दृष्टि में रखते हुए उनको समुचित सहायता प्रदान की जाएगी।

5. (1) दिव्यांग व्यक्ति को समृद्धाय में जोने वा अधिकार होगा।

समृद्धायन, जीवन।

(2) समुचित सरकार यह प्रयास करेंगी कि दिव्यांग व्यक्ति का,—

(क) किसी विशिष्ट जीवन व्यवस्था में जोने के लिए वास्तव नहीं किया जाए; और

(ख) किसी ऐसे गृह, आवास की खेणी और अन्य सहृदाय सहाय योग्याओं में, जिनमें आयु और लिंग पर साधारण व्यवहार देते हुए, जीवन की योग्यता के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सहायता सम्मिलित है, पहुंच प्रदान की जाए है।

6. (1) समुचित सरकार, दिव्यांगजन को प्रताङ्गा, क्रूर, अमानवीय या अप्राप्यन्वयनक लवहार के होने से संरक्षित करने के लिए उपाय करें।

कृता वा
अमानवीय अवहार
से संरक्षा।

(2) कोई दिव्यांगजन,—

(i) संसूचना की पहुंच योग्य पद्धतियों, साधनों और स्पर्धाभानों के माध्यम से अभिप्राप्य उनको रक्षण और सुरक्षित सम्पत्ति के बिना; और

(ii) समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोगजन के लिए विहित सेवा से गठित ऐसी दिव्यांगता पर अनुरूपतान के लिए सांपत्ति को यूं अनुमति, जिसमें आधे से अन्यून सदस्य इसमें से या तो दिव्यांगजन या भारा 2 के खंड (बक) के अधीन यथावधित रजिस्ट्रीकूट संगठनों के सदस्य हों, के बिना,

किसी अनुसंधान की प्रयोग यात्रा नहीं होगा।

7. (1) समुचित सरकार, दिव्यांगजनों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण को सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेंगी और उनको रोकने के लिए जहा—

दुरुपयोग, हिंसा और
शोषण से संरक्षा।

(क) दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान नहीं तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार उपलब्ध कराएंगी।

(ख) ऐसी परनामों से बचने के लिए उपाय करेंगी और उनको रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रांकला लिहें जरूरी।

(ग) ऐसी घटनाओं के पीछों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वाप्त करने के लिए उपाय करेंगी; और

(घ) जागृति ऐसा करेंगी तथा जनता को सुचनाएँ उपलब्ध कराएँगी।

(2) ऐसा कोइ ज्ञाति या रजिस्ट्रीकूट संगठन, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य विस्तृत दिव्यांगजन के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है या उसके बिना उनके घटनाओं हैं तो वह ऐसे कायमालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी जाप्रकारिता की स्थानीय सोमान्त्री के पावर ऐसी घटनाएँ होती हैं, उपलब्ध बारे में सूचना दे सकेगा।

(3) कायमालक मजिस्ट्रेट ऐसी लूचन को प्राप्त पर यथाव्यक्ति, उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए यूं उपाय करेंगा या ऐसे दिव्यांगजन के संदर्भ के लिए ऐसा आदेश पासित करेंगा जो

जहां तक समझे, जिसके अंतर्गत,—

(क) विद्यार्थिता, पुलिस या दिव्यांगजनों के लिए जारी कर रहे किसी संगठन की ऐसे व्यक्ति की, व्याख्याता, सुरक्षित अभियान या उनके मुनाफ़ा, या दोनों की, व्यवस्था करने के लिए प्राप्तिहक करते हुए ऐसे बायं से पीड़ित का लचाच करने।

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी बात करे तो दिव्यांगजन के लिए संरक्षित अभियान उपलब्ध करने;

(ग) ऐसे दिव्यांगजनों को भरणीयण उपलब्ध करने,

मनवी कोई आदेश नहीं है।

(4) कोई पुलिस अधिकारी, दिव्यांगजन के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याधिक को कोई शिकायत ग्राह करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो, व्यक्ति व्यक्ति को निम्नलिखित की जानकारी देगा,—

(क) उपराहा (2) के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन बारे बी उसके अधिकार की ओर महायता प्रदान करने की अधिकारित रखने वाले वार्षिक गविस्ट्रेट ब्रेन विशिष्टियों की;

(ख) दिव्यांगजनों के पुरवास के लिए जारी कर रहे निकटसमंगत या संस्था की विशिष्टियों की;

(ग) निम्नलिखित संशयता को अधिकार और और

(घ) इस अधिनियम के उपर्योग के अधीन या ऐसे अपराध से निपटने जानी जासी अन्य विधि के अधीन शिकायत पाइल करने के अधिकार की;

परंतु इस धारा को किसी बत का जारी किसी भी रोत में पुलिस अधिकारी को किसी संहेय अपराध के कानून हेने पर सूचना को प्राप्ति पर विधि के अनुदार कालियां बरों के अंतर्गत सुनाना करने के लिए नहीं होगा। या जाएगा।

(5) यदि कार्यपालक गविस्ट्रेट यह जाता है कि अधिकारित कृत्य या ज्ञानहर भरतीय दंड भौतिका के 1890 का 43 अधीन या राज्यमय उच्च विद्या अन्य विधि के अधीन कोई अपराध गविन करता है तो यह इस प्रभाव द्वारा शिकायत की, उस विधि में अधिकारित रखने वाले व्याख्याता, न्यायिक या महानगर मिलिंस्ट्रेट को अधिष्ठान करेगा।

संधार और सुधा:

8. (1) दिव्यांगजनों को जाँचन, सशस्त्र लंबप, मानवों उपर लियाजानी और प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं में स्थान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबलन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबलन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबलन कार्यकालान् जैसा कि आपदा प्रबलन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (6) के अधीन परिभावित है, में 2005 का 53 दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दिव्यांगजनों की सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए समर्चित रूपाय करेंगे।

(3) आपदा प्रबल अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन गतिं जिला आपदा प्रबलन प्राधिकरण जिले 2005 का 53 में दिव्यांगजनों के बीचों का अधिलेख रखना और ऐसे व्यक्तियों को जीवित की किसी स्थितियों में सुरक्षित करने के लिए समर्चित रूपाय करेंगा। जिले आपदा संग्रहियों को बदला जा सके।

(4) जीर्णम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं वाले स्थितियों के पश्चात् पुनः निर्माण कार्यवालाओं के लागे हुए प्राधिकरण दिव्यांगजनों की पहुंच आपदाओं के अनुसार संबंधित राज्य जायुक्त के परमाण से ऐसे कार्यकालाओं का जिम्मा लाएंगे।

तृह और कहन:

9. (1) किसी दिव्यांग आलक को दिव्यांगता के आधार पर स्थान स्थानात्मक के आदेश जैसे वित्त व चलाक के सर्वोन्नति हिंसा में अपेक्षित है, उसके अधिकारकों से पृष्ठक नहीं किया जाएगा।

(2) जहां अधिकारित दिव्यांग आलक को देखभाल करने में असमर्थ है, तो सशस्त्र न्यायालय ऐसे आलक को उसके नवदीकों नावेदारों के पास रखेगा और ऐसा न हो पाने पर ज्ञानुमिक्क गरिवेश में, राष्ट्रीय में या अन्यादिक दशाओं में, व्याख्यात, समर्चित सरकार या वैर सरकारी संगठनों हाथ चलाए जा रहे आक्रम स्थलों में रखेगा।

प्रबल अधिकार:

10. (1) समुचित राकार यह सुनिश्चित करेंगी कि दिव्यांगजन को प्रजनन और परिवार नियोजन के जारी में समर्चित जनकारी तक पहुंच हो।

(2) किसी दिव्यांगजन के ऐसी विकल्प उक्तिया के अधीन नहीं किया जाएगा जिसका परिणाम उम्रकी समुचित सहमति को बिना चांगपन होता है।

11. भारत निवाचन आयोग और राज्य निवाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्र याइन में पहुँच दिव्यांगजनों को पहुँच में हों और निवाचन उक्तिया से संबंधित सभी भागी उनके लिए सहमता में समझने गोग और उनको पहुँच में हो।

12. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांगजन के आधार पर विभेद के बिना जिसी व्यवस्था नहीं। आयोलन, अधिकारण, प्राधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिक या अधिन्यायिक या अन्तरण शक्तियां सड़ने जाले विवाय तक दिव्यांगजन अपनी गहुँच के अधिकार को ब्रह्मण करनी के लिए समर्थ हों।

(2) समुचित सरकार दिव्यांगजनों को लिए विशेषता यो कहुँच से बढ़ाव रहते हैं और ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें विभिन्न अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिक सहायता की जाएगी है, समुचित सहायता उपायों को उनके के लिए कदम उड़ाएँ।

1987 का 39

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को अधीन गठित गांठव तात्त्वीय विधिक सेवा ग्राहकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांगजन की अन्य व्यक्तियों के समान ही प्रशासनिक किसी स्वीकृत, कार्यक्रम, सुविधा या सेवा तक पहुँच हो, जिसके अन्तर्गत मुकियुका आयोजन भी है उपलब्ध करेंगे।

(4) समुचित सरकार निम्नलिखित उपाय करेंगी,—

(क) यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके लिए लोक दस्तावेज भुगत रूप छिक्कन में है;

(ख) यह सुनिश्चित करेंगी कि फाइल करने वाले विभागों, रजिस्ट्री या किसी अन्य अधिलेख जारीलव में, सुगम रूप छिक्कन में, दस्तावेजों और साक्ष को फाइल करने, भौंकर में रखने और निर्दिष्ट करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक उपकरण को बूर्झ बनाए रखें हैं; और

(ग) दिव्यांगजनों द्वारा उनकी अधिकारी भाषा और उनको संभूत्वा के पात्रों में दिए गए प्रेरणालक्ष, बहस या बत के अधिलेखीकरण को सुकर बनाने के लिए, सभी आवश्यक सुविधाएं और उपलब्ध उपलब्ध कराएँगी।

13. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि दिव्यांगजन अन्य लोकों के सामान रूप से स्थान विभिन्न भाषाओं या जाग, सोच का व्यामिल या विचास, उनके वित्तीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार रखेंगे और वैक जग, बंधक और वित्तीय प्रत्यय के अन्य रूपों तक पहुँच रखेंगे।

(2) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि दिव्यांगजन जीवन में सभी पहलुओं में अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपयोग करे और विधि के समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मानवता का अधिकार रखें।

(3) जब सहायता प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति और किसी दिव्यांगजन के मध्य विविहत्या वित्तीय, सांसारिक या किसी अन्य आर्थिक संज्ञवहर को लेकर हितों का कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसी सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उक्त संज्ञवहर में दिव्यांगजन को सहायता उदान करने से प्रतिक्रिया रहेगा;

परन्तु हितों के विरोध की कोई उपधारणा उम आधार पर ही नहीं होगी कि सहायता देने वाला व्यक्ति, दिव्यांगजन का रक्त, विश्वाह संबंध या उत्तम ग्रहण से नहोदार है।

(4) कोई दिव्यांगजन किसी सहायता संबंधी उत्तराद को परिवर्तित, उपांत्तित या समाप्त कर मनेंगे और किसी दूसरे की लहानत प्राप्त कर सकेंगे।

परन्तु ऐसा परिवर्तन, उपांत्तरण या समाप्ति भावित्वनकी प्रकृति की होगी और उपांत्तित सहायता संबंधी उत्तराद में दिव्यांगजन द्वारा किए गए किसी तीसरे पक्षकार के संज्ञवहर की अकृत नहीं करेंगे।

(5) दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने वाला कोई ज्ञात असाध्यक उत्तराद का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी स्वातंत्र्यता, वरिष्ठता और निवाचन का समान करेगा।

संख्या के लिए
उल्लेख।

14. (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत होने की तारीख से ही, वल्यमन प्रबुत किसी अन्य विधि के अनुचित किसी बात के होने हुए थी, कोई किला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिकृत कोई अधिहित प्राधिकारी पाता है कि कोई दिव्यांगजन विसे पर्याप्त और समुचित महायता प्रदान करे गई थी किंतु उन विधिवास्तव से आवश्यक विनियोगों को लेने में अवामश्च है तो ऐसे अधिकृत के परामर्श से ऐसी रुपीत में जो राज्य सरकार द्वारा विद्या की जाए, उसको और से विधिक रूप से आवश्यक विनियोग होने के लिए भीगत संरक्षक को और उसका प्रदान की जा सकेगी:

परं, यथास्थिति, “नहा न्यायालय या अधिहित प्राधिकारी ऐसी सहायता की अपेक्षा रहने जाते दिव्यांगजन की लिए पूर्ण उड़ानका प्रदान कर सकते हैं जहाँ सीमित संरक्षकता आम-चार प्रदान की जानी है ठहर दशा में दी जाने वाली सहायता की प्रकृति और रीति का अवधारण करने के लिए, दो जाने वाली सहायता की आवश्यक विनियोग का यथास्थिति, न्यायालय या अधिहित प्राधिकारी द्वारा कुरार्विलोकन किया जाएगा।

सम्पोरकण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “भीगत संरक्षकता” से संयुक्त विनियोग की एक प्रणाली अधिहित है जो संरक्षक और दिव्यांगजन के मध्य पारस्परिक समझदारी और धरोमे पर प्रयोगित है जो विनियोग अवधि और लिंगानुसार विनियोग तथा स्थिति तक सीमित होगी और दिव्यांगजन की उच्छान्तियां जारी करेगी।

(2) उस अधिनियम के अन्तर्गत होने की तारीख से ही दिव्यांगजन के लिए उत्तम प्रबुत किसी विधि के किसी उपर्युक्त के अधीन नियुक्त प्रत्येक संरक्षक लो, सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए समझा जाएगा।

(3) किसी विधिक मंत्रिकार को नियुक्त करने के अधिहित प्राधिकारी के विनियोग द्वारा ज्ञात कोई दिव्यांगजन ऐसे कर्मीलीय प्राधिकारी के आपेक्षा कर सकेगा जिसे इस प्रयोगन के लिए गम्भीर सरकार द्वारा अधिकृत किया जाए।

सहायता के लिए,
जारीकर्ताओं के
प्राप्तियां।

15. (1) लमुचित सरकार दिव्यांगजनों के विधिहान समर्पण के प्रयोग करने में जारी सहायता करने के लिए उपयोग को गतिशील करने और सामाजिक जागरूकता सुनित करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारीयों को अधिहित करेगी।

(2) उपाय (1) के अधीन अधिहित प्राधिकारी संस्थान में रहने वाले और जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है दिव्यांगजनों द्वारा विधिक समर्पण के प्रयोग को लिए उपयुक्त सहायता संबंधी टहरावों की सहायता करने के लिए उपाय करेंगे और कोई अन्य उपाय, जो अनिवार्य हो, करेंगा।

अध्याय 3

शिक्षा

विद्युत संस्थानों का
करना।

16. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयाप्त करेंगे कि उनके हुए सभी वित्तीय व सन्तानाम शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करे और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगे—

- (i) उन्हें जिन किसी विद्येश के प्रवेश देना और अन्य जातियों के सामने खेल और उपोद्धारणीयों के लिए अवसर प्रदान करना;
- (ii) अवगत और जिम्मेदारी सुनिश्चित तक पहुंच देना;
- (iii) अविकलन अधीक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित जाप सुनिश्चित प्रदान करना;
- (iv) ऐसी विद्यालय में, जो पूर्ण लम्बावधि के विषय के संगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास की उन्नति सीमा तक बढ़ाते हैं ज्ञानित्यरक या अन्यथा आवश्यकता सहायता प्रदान करना;
- (v) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति को, जो अंधा या अधिर या होने हैं, संसूचन की समुदाय आपाओं और रीतियों द्वारा साधनी में शिक्षा प्रदान करना;
- (vi) बालकों ने अनिवार्य विद्या दिव्यांगजनों का शिक्षण प्रता लगाना और उन पर कानूनी पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना;
- (vii) प्रत्येक विद्यालय आप के संबंध में शिक्षा के प्राप्ति स्तर और पूर्णता के रूप में उपकी पानी देते, प्राप्ति को मानी देते;
- (viii) दिव्यांग बालकों और उनकी सहायता की आवश्यकता वाली दिव्यांग बालकों के पारंपर के लिए भी परिवर्तन सुनिश्चित उपलब्ध करना।

17. समूचित सरकार और स्थानीय प्रशिक्षकों द्वारा 16 के प्रयोगन के लिए निम्नलिखित उपाय करें। नामांकित शिक्षा को संवर्धित करने वाली विशेष जागरूकताओं जो अधिनियम करने और उस परिमाण के संबंध में जहां तक हैं वह पुढ़ कर दिया गया है, सहूल जाने वाले बालकों के लिए हर पांच वर्ष में सर्वेश्वर करना:

परंतु पहला सर्वेश्वर इस अधिनियम के प्रयोग की जातीज से दो वर्ष की अवधि के मौत्र किया जाएगा;

(ख) पर्याप्त जल्दी में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को समर्पित करना;

(ग) शिक्षकों को, जिसके अन्तर्गत दिव्यांग वास्तविक भी हैं जो साक्षरताक भाषा और ब्रेल में आहंता है और ऐसे शिक्षकों की भी, जो लौटक रूप में दिव्यांग बालकों के अव्यापन ने प्रांशुकित है, प्रशिक्षित और नियोजित करना;

(घ) लहूली शिक्षा के सभी रूपों पर समिन्मिलित शिक्षा में सहायता करने के लिए चुनिकों और कर्मचारित्व को प्रशिक्षित करना;

(इ) लहूली शिक्षा के सभी रूपों पर शैक्षिक संस्थाओं की सहायता के लिए संयोग बोर्डों को पर्याप्त संख्या में स्वार्थित करना;

(ज) बाक्शकिति, संप्रेषण या भाषा दिव्यांग बाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की जागरूकताओं को पूरा करने के लिए किसी की स्वयं की वाक्तालिक के उपयोग को अनुपूर्ति के लिए संप्रेषण, ब्रेल और साक्षरताक भाषा के सभी और हालियाँ सहित समूचित संवर्धनी और वानुकालीन एड्युकेशन के प्रयोग का संबंधन करना;

(झ) संदर्भित दिव्यांग छात्रों की अवाहन वर्ष की आयु तक पुनर्वासे, अन्य विद्या सामग्री और सम्पुर्ण सहायता युक्तियों निश्चाल ढमलव्य करना;

(झ) संदर्भित दिव्यांग छात्रों के समूचित समलैंग में छात्रवृत्ति प्रदान करना;

(झ) दिव्यांग छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और प्रोत्साहन ग्रनाली में उपयुक्त उपायण करना जैसे पर्याप्त पत्र को पूरा करने की लिए पर्याप्त तमाम एक लिपिक या संचाक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से लट्ट;

(झ) विद्या में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और

(झ) कोई अन्य उपाय, जो अवश्यित है।

18. समूचित सरकार या स्थानीय प्रशिक्षकी फ़ैड शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी को रांचित, प्रेरित करने की लिए और अन्य व्यक्तियों के समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करें।

अध्याय 4

कौशल विकास और नियोजन

19. (1) समूचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषज्ञ उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और आधारिक व्यविधियों को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए जिसके अंतर्गत विद्यार्थी दर्दे पर उन उपलब्ध प्रैक्टिशन और करना में है, स्कॉल और कार्यक्रम बनाएं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कॉलों और कार्यक्रमों में विनाशित उपचंद होंगे।

(झ) सभी मुख्य धारा जै औषधिक और नेर-औषधिक तृतीक और बौशल प्रारंभण ज्ञान और कायंकर्मों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना;

(ब) यह मुनिशिकता करता कि किसी दिव्यांगजन जो विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त हैं;

(च) ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो विवासानिक, औद्योगिक, चलाइय दिव्यांगजा लघुपरायणता वाले हैं, उनमें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, जिनका प्रभावों पर्याप्त बाजार के लाभ है;

(छ) रियल्टी एस एवं जट्ट, जिसके अंतर्गत सूखम उधार भी है;

(ड) दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन, और

(ब) कौशल प्रशिक्षण और स्वरित्योजन में कोई गहर प्रगति पर उत्सक्तित डाटा बनाए रखना विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजन भी हैं।

प्रिलेजेन में विभेद न करना। 20. (1) कोई भी सरकारी स्थापन दिव्यांगजन से संबंधित किसी घामते वें किसी दिव्यांगजन के विट्टद विभेद न करेगा;

परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को व्यापार में रखने द्वारा अधिसूचना द्वारा और ऐसे निवेदनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, उस धारा के उपर्योग में किसी स्थापन जो छूट प्रदान कर सकता है।

(2) प्रत्येक स्थापन दिव्यांग वर्नवरियों को चुकित्तुत भ्रामन और समुचित अवधीन सुना तथा सहायक उत्तरावज उपलब्ध कराएगा।

(3) कैचल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को ग्रान्ति से इच्छा नहीं किया जाएगा।

(4) कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कमस्चारी को, जो वापनी योग के दैरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, उसे अधिकृत या उसके ऐक में कमा नहीं डरेगा;

परंतु यदि कोई कमस्चारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के अवश्यक लक्ष पद के लिए आवश्यक नहीं रह जाता है तो वह उपकूल पद उपलब्ध होने तक या अधिकांशता जी आवृत्त होने तक इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिकृत योग पद पर सउ जा सकेगा।

(5) समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारियों को तैनाती और स्थानांतरण को नियंत्रित बना सकेगा।

समाज अध्यक्षता नीति। 21. (1) प्रत्येक स्थापन इस अध्ययन के उपर्योग के अनुपालन में उपलब्ध काटा लेपन नहीं है तो वह उपकूल पद समाज अध्यक्ष नीति से संबंधित उपायों को ऐसी रीति में, जो कैचलकर सरकार द्वारा लिये जाए, अधिकृत बने जाएं।

(2) प्रत्येक स्थापन, व्यासिक्षणि, मुकुल आवृत्त या ग्रन्थ आयुक्तों के जाप उक्त नीति की एक प्रति रूपत्व बनेगा।

अधिकारी का सदा नाम। 22. (1) प्रत्येक स्थापन, इस अध्ययन के उपर्योग के अनुपालन में उपलब्ध कराए गए नियोजन, सुविधाओं के माननी के लाभ में दिव्यांग व्यक्तियों के अंगतंत्र रखेगा और उन्हें आवश्यक सरकारी ऐसे प्रकार बहुत ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा।

(2) प्रत्येक रेजिमार कार्यालय गेझार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारी रखेंगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अधिकारी, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनको नियमित प्राप्ति किए जाएं उभी युकित्युक्त समर्थन पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

सिवाय व्यवस्था अधिकारी को नियुक्त। 23. (1) प्रत्येक सरकारी स्थापन भारा 13 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्राप्तिकारी अधिकारी नियुक्त ढरेगा और व्यासिक्षणि, मुकुल आयुक्त या ग्रन्थ आयुक्तों द्वारा ऐसे अधिकारी वाले नियुक्ति के बारे में मूल्यना देगा।

(२) बारा २० के उपर्योग के अनन्तुपालन से जीवित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतिलोप अधिकारी को शिकायत काइला कर सकता हो उसका अन्वेषण करेगा। और सुधार कार्रवाई के लिए व्यापन से मामले लो विचार में ले गा।

(३) शिक्षायत प्रतिलोप अधिकारी शिक्षायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा, जिसे जनदोष प्रबोध द्वारा विहित किया जाए और प्रत्येक शिक्षायत की, इसके रजिस्ट्रीकरण के दो भूमाल के गीहर जांच को जाएगी।

(४) यदि व्यक्ति अपना जा ठसको शिक्षायत पर कोई गड़ कार्रवाई से ममाधान नहीं होता है तो वह जिला द्वारा दिल्लीगढ़ समिति के पास जा सकता हो सकता।

अध्याय ५

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आपोद-प्रमोद

२४. (१) नमुनित सरकार, उसकी आर्थिक धूमल और विकास की सीमा के भीतर उनके स्वतंत्र रूप से भवानिक सुलभ या सम्भाव्य में रहने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए यात्रा जीवन स्तर के लिए दिल्लीगढ़जी को अधिकारों को सुरक्षा और स्वतंत्र के लिए आवश्यक स्थानों और कार्यक्रम बनाएगी;

प्रथम् ऐसी स्थानों और कार्यक्रमों के उद्दीप दिल्लीगढ़जी को नहायता का पारगाण अनु ज्यजितों के लिए लागू उन्हीं स्थानों से कम से कम चर्चाय ग्राहित अटिक जाएगा।

(२) सामुदायिक सलकार, इन स्थानों और कार्यक्रमों को बनाने के समय दिल्लीगढ़, लिंग, अनु और सामाजिक-आर्थिक प्राप्तिवाति की विविधता पर साम्यक विचार करेंगी।

(३) आपासा (१) के अर्थीन स्थानों में गिम्सलिखित के लिए उपचंद लेंगे—

(क) सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देख-देख और परामर्श के रूप में अच्छी जीवन परिविवितों सहित सानुगम्यिक कौटुम्ब;

(ख) ऐसे ज्यजितों के लिए जिनके अंतर्गत दिल्लीगढ़ बालक भी हैं, जिनका कुरुक्ष नहीं है या जो परिवर्तन या जिन आश्रय या जीवन निवाह के हैं, सुरक्षातः;

(ग) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपासा के दीर्घन और दैर्घ्य के शेष में महायता;

(घ) दिल्लीगढ़ महिलाओं के जीवन निवाह के लिए योग उनके बालकों के पालन-पोषण के लिए सहायता;

(ङ) तुरंतिह ऐसे जात और नमुनित तथा गहुच में स्वास्थ्या सुविभाग विशेषज्ञा नगरीय नदी-झल्ली और यानीग देशों में पहुच;

(च) ऐसी आप की सीमा, जो आर्थिक्सूचित को बाहर के माथ दिल्लीगढ़ व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता और साधित, औपनिषद्यां और वैदिनिक सेवाएं तथा सुधारात्मक शालग्चिकित्या उपलब्ध कराता;

(छ) ऐसी आप की सीमा, जो अभियुक्त को जाए, के अर्थीन रहते हुए दिल्लीगढ़ ज्यजितों को दिल्लीगढ़ पैशान;

(ज) दो तर्ज से अधिक की अवधि के लिए विशेष देनार वायालाय में रंगिलीकर हैं दिल्लीगढ़ ज्यजितों को बेरोजगारी भत्ता, जिन्हें लाभपूर्ण व्यवसाय में नहीं रखा जा सकता था;

(झ) उच्च साहाय्य की अवधिकारियों द्वारा दिल्लीगढ़जी के लिए देख-देख प्रदाता भत्ता;

(ञ) ऐसे दिल्लीगढ़जी के लिए उदाहरण बीन रक्कीम जी तथा कमेवारी चीमा स्कोम या किसी अन्य कानूनी या सरकार द्वारा प्रयोजित आपा स्थानों के अंतर्गत नहीं आते हैं;

(ट) कोई अन्य विषय जिसे सामुदायिक सलकार ढीक समझे।

स्वास्थ्य देख रेख।

25. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्रांधिकारी दिव्यांगजनों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के हित देखाय करेंगे,—

(क) ऐसी लूटेज आय, जो अधिसूचित को जाए के अभी तक नहीं दूर, आसास विशेषता आपैन देशों में निश्चुल्क स्वास्थ्य देख-रेख;

(ख) सरकार के सभी भागों और निजी अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं और कंपनीों में बाधा रहित भर्तृय;

(ग) पारिवर्त्य और इनवार में मूर्चिकाता।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्रांधिकारी स्वास्थ्य देख-रेख को अधिकृद्ध और दिव्यांगता की पठाओं को रोकने के लिए उपाय जैसी और न्यौम या चार्टरेड अनांदों और अका प्रयोगों के लिए निम्नलिखित करें—

(क) दिव्यांगता की घटनाओं के बारणों से संबंधित संवेदन, अन्वेषण और अनुदर्शन करना या कराना;

(ख) दिव्यांगता को रोकने के लिए विभिन्न एड्डिशनों को प्रोत्तंत लड़ान;

(ग) "जॉकिन के" यामलों की पहचान लड़ने के प्रयोग के लिए ८५ में कम से कम एक बार सभी बालकों की जांच कराना;

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी गर कर्मचारियों की प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(ङ) जागरूकता अधिकारी-प्रायोगिक लम्बा या कराना और स्थानीय आरोग्य, स्व-स्वयं और स्वच्छता के लिए जानकारी का प्रसार लम्बा या कराना;

(च) साता और चलवक की प्रलग्नपूर्व, प्रसव के दोषान और प्रसव के पश्चात् देख-रेख के लिए उपाय बताना;

(छ) पुर्वस्कूल, लूहल, प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी, यात्रा तार कार्यकर्ताओं वहाँ आंतरिकी कार्यकर्ताओं के प्राप्त्यम दे जाना को विधित करना;

(ज) दिव्यांगता के बारणों और अंगीकृत किए जाने वाले निरोधात्मक उपायों को टेलीविजन, रेडियो और अन्य जन सेवार साझों के माध्यम से जानता के मध्य जागरूकता उपलब्ध कराना;

(झ) प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोड़िए जैसी प्रशिक्षियों के सामने दो ग्राम स्वास्थ्य देख-रेख;

(झ) जीवनसाधक अपात उपचार और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक विकल्पीय सुविधाएं, और

(ट) विशेषज्ञ दिव्यांग शियों के लिए लैनिक और प्रजनक स्वास्थ्य देख-रेख।

26. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए दोनों स्कॉल में बनाएं।

शेष स्कौल।

27. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्रांधिकारी सभों दिव्यांगजनों के लिए विशिष्टतया स्वास्थ्य, शिक्षा और नियोजन जैसी जैसी आधिक शक्ति और विकास के प्रोत्तर सेवाओं और पुरुजास के कार्यक्रमों वी दिमेवारी लेंगे या जिमेवारी दिलाएं।

(2) उपराय (1) के प्रयोगों के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्रांधिकारी, रीम-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें।

(3) समुचित सरकार और स्थानीय प्रांधिकारी, नुनवास स्कौल दुनर्वास नीतियों की विरचना के जप्त दिव्यांगजनों के लिए व्यापक गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्ति करें।

अनुसंधान और
विशय।

28. समुचित सरकार ऐसे मुद्रों गर व्यापियों या संस्थाओं के मध्यम से निनारा आलास और नुनवास और ऐसे अन्य मुद्रे जैसे दिव्यांगजनों के लाभ वी लिए आवश्यक सभाएं जाएं, के माध्यम से अनुषंधान और विकास आरंभ करेंगी या कराएंगी।

29. समृद्धि सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, सभी दिव्यांगजनों के अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और समर्पित ही अन्य व्यक्तियों के समान आमोद-प्रयोग गतिविधियों में भागीदारी के उपाय करें, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित में आमोद-प्रयोग हैं—

(क) दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को उनकी अभियाच और प्रशिक्षण के लिए सुविधा, सहायता और प्रायोजन;

(ख) दिव्यांगजन इतिहास लघुप्रश्नाय को ज्ञानना औ दिव्यांगजनों के ऐतिहासिक उन्नयनों को लिपिबद्ध और उनका निवेदन करते हैं;

(ग) दिव्यांगजनों द्वारा कला को सुनान बनाना;

(घ) आमोद-प्रयोग केंद्रों और अन्य सामाजिक गतिविधियों का संबर्द्धन करना;

(ङ) बालय, कृत्य, कला कक्षाएं, छात्राओं कींग और ऐपांचक गतिविधियों में भागीदारी को सुकर बनाना;

(च) दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए सांस्कृतिक और कला विषयों के पाठ्यक्रमों को पुनः दिग्जाइन करना;

(छ) आमोद-प्रयोग गतिविधियों में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और उनको सम्मिलित बरने को सुनान बनाने के लिए तकनीकी सहायक यूक्तियाँ और उपकरणों का विकास करना; और

(ज) सुनिश्चित करना कि अपनाइजन के इतर के व्यक्ति सांस्कृतिक भाषाओं वा उपशाईक सहित ऐलीजिजन कार्यक्रमों तक पहुंच कर सकें।

30. (1) समुक्ता सरकार दिव्यांगजनों को खेलकूद गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपचार करेंगे।
सेवक
गतिविधि।

(2) खेलकूद प्राधिकारी खेलकूदों में भागीदारी के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों को समरक, मान्यता देंगे और उनकी खेलकूद प्रतिभा के संवर्धन और विकास के लिए अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को समिलित करने के लिए समरक उपचार करेंगे।

(3) उपचार (1) और उपचार (2) में अन्तर्विद्युत उपकरणों पर प्रांतकूल प्रभाव डालने विना समृद्धि सरकार और खेल प्राधिकारी निम्नलिखित उपाय करेंगे,—

(क) सभी खेलकूद गतिविधियों में दिव्यांगजनों को पहुंच, समावेशन और उनकी भागीदारी का सुनिश्चित करने के लिए प्रांतकूली और जारीकर्ताओं को गुनामी देना;

(ख) दिव्यांगजनों के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों और क्षमतारेचनामूलक सुविधाओं का पुनः दिग्जाइन और उसमें सहायता;

(ग) सभी दिव्यांगजनों के लिए अंतःशक्ति, प्रतिभा, सामर्थ्य और लोकता बढ़ाने के लिए तकनीक का विकास;

(घ) सभी दिव्यांगजनों के लिए उपायी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों में जहुलवेदी आवश्यकताएं और विशेषताएं प्रदान करना;

(ङ) दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए अल्याभ्यन्तर खेलकूद सुविधाओं के विकास के लिए निधियों का आवंटन करना;

(च) दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता विनिर्दिष्ट खेलकूद भागीजनों को संबर्द्धन करना और आजीजित करना तथा ऐसे खेलकूद प्रतियोगिताओं के विदेश और अन्य भागीदारों को भी पुरस्कार देने को सुकर बनाना।

अध्याय 6

संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपचार

संदर्भित दिव्यांगजनों
का संबोधन
निःशुल्क शिक्षा।

31. (1) निःशुल्क और अनिवार्य आल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में अंतर्वित किया जाता है। 2009 का 35 लोटी द्वारा ऐसे चरण से अतारह वर्ष तक वाला संदर्भित दिव्यांग बालक का निवासिता विद्यालय या उसको प्रसंद को किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करें कि संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक को अवारंग वर्ष की आठ वर्षों से तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुंच हो।

उच्च शिक्षा मंत्रालय
में अधिकार।

32. (1) उच्च शिक्षा की सभी सारकारी संस्थाएं और सारकार ये सहायता प्राप्त कर रही अन्य शिक्षा गोप्याएँ संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कर से कर पांच प्रतिशत स्थानों को अवासित रखेगी।

(2) उच्च शिक्षा संस्थाओं में उच्च वर्ष के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों को ऊपरी आमु सोना में पांच जर्द तक शिखित हो जाएगी।

आमुसन के लिए
पढ़ी की पहचान।

33. समुचित लकड़ा—

(i) स्थान में ऐसे पढ़ी वाली पहचान करेगी जिन्हें शारा 34 के उपर्युक्त के अनुमान अनुकूल निवासी की बजाए संदर्भित दिव्यांगजनों से संबंधित प्रवर्गों के व्यक्तियों द्वारा भारण किया जा सकता है;

(ii) ऐसे वर्षों की पहचान उपरोक्त के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व के साथ विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी;

(iii) पहचान गए पढ़ी का दीन वाप से अवधिक अंतराल पर आवधिक पुनर्विलोकन करेगी।

आमुसन।

34. (1) प्रत्येक समुचित सरकार, प्रत्येक सरकारी स्थान में नियुक्ति के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों द्वारा भार जाने के लिए आवश्यित पढ़ी के प्रत्येक साप्ताह से प्रत्येक में कुल मिलाये जाने लाना वा चार प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आवश्यित करेगी—

(क) अंध और निम दृष्टि;

(ख) बफिर और श्वसणावित में डास;

(ग) चतुन दिव्यांगता विकास के अंतर्गत प्रत्येक आल शिक्षक आल, रोगमुक बुद्धि, वैज्ञानिक, तेजाव अंक वर्ग के पीड़िता और गेशीय दुश्मान भार है;

(घ) स्वप्नावलयन, बीड़िक दिव्यांगता, विशिष्ट जीविताम दिव्यांगता और मानविक रूपान्तर,

(ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पढ़ी में घोड़ (क) से घोड़ (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुत दिव्यांगता विकास के अंतर्गत जाधा, अधिक भी है;

परंतु यह कि ग्रोन्गरि में आवश्यक ऐसे अनुदेशों के अनुसार जोगा जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं:

परंतु यह और कि समुचित सरकार, व्यासिकता, मुद्रा आवृत्त या राज्य आवृत्त के ग्रामीण में किसी सरकारी व्यापन में कार्य करने के उपकार की ज्ञान में भड़ते हुए आधिकारिक द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन होते हुए, वर्दि कोइं हैं, जो ऐसी अधिकारिक व्यापन में विनिर्दिष्ट चीज़ जाए, किसी सरकारी स्थान को इस बारे के उपचारों से हूँ विदान का सकता।

(2) जहाँ कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन की है—दालालना के बारण या घोड़ अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी रिक्ति गश्वात्वती भर्ती वर्ष में अग्रनीत होगी और यदि गश्वात्वती भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो पहले यह गांच प्रवर्गों में से अदला-बदली द्वारा हो सकती है और केवल जब उल्लंघन में भी उपलब्ध के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजना किसी दिव्यांगजन से विन नियोजन की जावित छोड़ दिया गिरित की भर सकता।

परंतु यदि किसी स्थापन में रिक्षियों को प्रकृति प्रेसी के लिए गए प्रवाही के जबितयों वो पिछोजित नहीं किया जा सकता तो रिक्षियों को समुचित सरकार के पूर्ण अनुमेड़न से जांच प्रबाही में उदला-बदली की जा सकेगी।

(3) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा संदर्भित दिव्यांगजनों के नियोजन के लिए उन्होंने आयु यौमा में ऐसा अधिकारीकरण प्रदान कर सकते हैं जैसा वह ठीक समझे।

35. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, उन्होंने आधिक दृष्टिया और विकास का शामाज़े की ओर यह प्रहवेट बैन्डर में नियोजित करने के लिए कि उनके कर्मचार ने कम से कम जांच प्रतिशत मंदर्भित दिव्यांगजन प्राइवेट सेक्टरों में नियोजक को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

36. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा जरूर सकेगा कि ऐसी जारीगी से, ग्राहिक स्थापन में नियोजक, दिव्यांगजनों के लिए नियत देशी रिक्षियों के संबंध में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा चिह्नित की जाए तो यह कार्यलय। स्थापन में हुई है या होने वाली है, ऐसे रिक्षियों द्वारा जारीगी जारीगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी जारीगी या दिव्यांग भेजेगी। और स्थापन उस पर ऐसी अधिकारीका जा पालन करेगा।

37. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा संदर्भित दिव्यांगजन के पक्ष में नियन्त्रित किया जाना और नियोजक करने के लिए स्कोर्में बनाएँ—

(क) संदर्भित दिव्यांग लिंगों वाली समुचित गुरुविकाता के साथ साथ गुरुविकाता और विकास कार्यक्रमों में, कृषि भूमि और आवासन के आवंटन में पांच प्रतिशत आवश्यक,

(ख) संदर्भित दिव्यांग लिंगों वाली गुरुविकाता के साथ साथ नियन्त्रित उपचान के विभिन्न विकासशाली स्कोर्मों में पांच प्रतिशत आवश्यक,

(ग) दिव्यांग लिंगों वाली गुरुविकाता के साथ साथ नियन्त्रित उपचान के विभिन्न विकासशाली कार्यक्रमों में, आवंटन के आवंटन में पांच प्रतिशत आवश्यक।

अध्याय 7

ठच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

38. (1) संदर्भित वोई दिव्यांगजन जो स्वयं उच्च सहायता वाली आवश्यकता सामाजिक है या उच्ची थोरा से उच्च सहायता वाली आवश्यकता वाले विलंगजनों के लिए उच्चोद्ध चरने हुए, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाले प्राधिकारी को अवैदन कर सकते हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कावेदन जी प्राप्ति गर, प्राधिकारी उसे ऐसे व्यक्तियों में नियन्त्रित करने वाले नियोजित योरुं को रेजिस्टर जो केंद्रीय सरकार द्वारा चिह्नित किया जाए और अधिक सहायता वाली आवश्यकता और दूसरी क्रृति को प्रमाणित करके, अधिकारी को रिपोर्ट देजेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट जो प्राप्ति गर, प्राधिकारी, रिपोर्ट के अनुसार और इस नियन्त्रित समुचित सरकार की मुमुक्षुत रक्षियों और आदेशों के अनुसार सहायता प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।

अध्याय 8

समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

39. (1) समुचित सरकार, यथाविधि, मूल्य आपूर्ति या यथा आपूर्ति ये परामर्श करके इस अधिकारी के जर्जिंग दिव्यांगजनों को दिए गए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागहकारा अधिकारी और अधिकारी। सुप्राह्यता कार्यक्रमों का संचालन, प्रोत्साहन, इसमें सहायता वा संबंधन लेगी।

(३) उपधारण (१) के अधीन विनियोग से कार्यक्रमों और जीवन्याओं ने निम्नलिखित भी किया जाएगा,—

(क) समावेशन, सहशोलता, स्वानुभूति के पूर्णों का संबंधन और विविधता के लिए आदर;

(ख) दिव्यांगजनों के कौशल, गुणों और योग्यताओं को अधिक पहचान और कार्यवल, अग्र बाज़ार में उनका योगदान और जूतिक फीस;

(ग) पारिवारिक जीवन, नवोदारियों, चालकों के बहन और भालून-योग्य से संबंधित सभी विषयों पर दिव्यांगजनों हुए किए गए विनियोगों के लिए आदर का योग्य;

(घ) दिव्यांगजनों की मानवीय दशा पर विश्वासालय, नहायिदालय, विश्वविद्यालय और जूतिक प्रशिक्षण सार तथा दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अधिमन्त्रकरण ऊरन और दुष्टाहीन बनाना;

(ङ) दिव्यांगजनों की दशाओं और नियोजकों, प्रशासकों और सहजायों के प्रति दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अधिमन्त्रकरण और सुग्रहण उदान करना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालयों, नहायिदालयों और लहूलों के पात्रक्रमों में दिव्यांगजनों के अधिकार व्याप्तिलिपि है।

पहुँच:

40. केन्द्रीय सरकार, सुख्य आयुका के परामर्श से समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ने जनता को प्रदान की गई सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक जातावरण, परिवहन, जानलारी और गंभीरता के लिए पहुँच के मानकों को अधिकाधित करने हुए दिव्यांगजनों के लिए विनियम विरचित करेगा।

परिवहन तथा पहुँच:

41. (१) जपुंचल सरकार, निम्नलिखित का उपर्युक्त करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी,—

(क) बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर दिव्यांगजनों के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान जाना जो परिवहन रूलों, प्रलाधनों, टिकट मिशनियों और टिकट मशीनों में संवेदित पहुँच मानकों के अनुकूल हों।

(ख) परिवहन के सभी दोनों तरफ पहुँच प्रदान करना जो परिवहन के पश्च रिटिटि पृष्ठे द्वारा सहित डिजाइन मानकों के अनुकूल हो, जहाँ कभी वे दिव्यांगजनों के लिए ग्रामीणक रूप से संभाल्य वही सुरक्षित हों, आधिक रूप में स्वरूप हों और डिजाइन ने मुख्य परिवहन के बालकों में भार बढ़ाव दिया हो;

(ग) दिव्यांगजनों के लिए जातव्यक गतिशीलता को समायोजन के लिए पहुँच देना लड़के।

(२) समुचित सरकार, निम्नलिखित के लिए उपर्युक्त करने के लिए वहन का सेव्य लागत पर दिव्यांगजनों की वैयक्तिक गतिशीलता के संबंध के लिए रक्कीओं, कारोबारों को विकसित करेगी,—

(क) प्रोत्साहन और रियायतें;

(ख) बाह्यों को परव ट्रिलिंग, और

(ग) वैयक्तिक गतिशीलता सहायता।

42. समुचित सरकार यह दूनिशित करने के लिए उपाय करेगी कि—

(i) श्रव्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मोडियर में उपलब्ध मध्यों अंतर्भुत पहुँच देना फार्मेट में हो;

(ii) अल्प वर्तन, संकेत भाषा निवेदन और ज्ञानोद्धार कोशिशिंग, उपलब्ध कराके दिव्यांगजन की इलेक्ट्रॉनिक मोडियर तरफ पहुँच हो;

(iii) इलेक्ट्रॉनिक माल और उपकरण जो प्रोत्साहित उपयोग के लिए सर्वजनीक डिजाइन में उपलब्ध कराए जाने के लिए आशयित हो।

उपर्युक्त माल।

43. समुचित सरकार दिव्यांगजनों की संधारण उपयोग के लिए संवेद्यपी रूप से डिजाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों और उपयोगी उपयोगी उपयोग के संबंधों को लिए उपाय करेगा।

उपर्युक्त माल।

44. (१) किसी स्थापन को विद्यालय के नियम द्वारा नहीं दो जाएँ यदि भवन योजना में धरा 40 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

(2) किसी स्थान को तब तक पूर्णता प्रदान किया जारी नहीं किया जाएगा या वसन का अधिकों करने के लिए अनुमति नहीं किया जाएगा जब तक वह केंद्रीय संघकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं किया जाएगा।

45 (1) ऐसे विनियमों को अधिसूचना ली तारीख से पांच वर्ष में अनप्रिक अवधि के भौतिक केन्द्र य सरकार द्वारा अनाए गए विनियमों के अन्याय रूपी विद्यमान सार्वजनिक भवन संसाधन बनाए जाएं।

परंतु केन्द्रीय सरकार याज्ञों को इस उपवन्ध के पालन के लिए नामला दर मासला व्यापार पर छाकी तैयारी हो अवश्य और अन्य सुन्दरधृत ऐमानों पर निर्भी रहे हा मन्त्र ज्ञा अधिकार संबंध वार मन्त्रोंगे।

(2) समूचित सारकार और स्थानीय प्राचिकारी ठनके दर्भी भवनों और स्थानों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने जाने वैसे प्राथमिक ल्यास्ट बोर्ड, सिलिंगजिला अम्पाल, विशालाम, रेलवे स्टेशन और दूसरी अड्डाएँ जैसी सभी उक्त घटनाएँ करने के लिए पर्याप्त हैं और आधिकारिक तारीखों पर व्यवस्था और गतिष्ठित रहें।

46. सेवा प्रदाता जाहे सरकारी हो या प्राइवेट कॉन्स्ट्रक्शन अपकार दृष्टि पाया 40 के अधीन पहुंच पर चलाए गए नियमों के अनुसार ऐसे नियमों को अधिसूचन की सारीख से दो चर्चे को कालावधि के भीतर सेवार्थ प्रदान करना।

परंतु केंद्रीय सलाह मुख्य आयुका के परामर्श से उच्च नियमों के अनुसार कठिपथ्य प्रवर्ग जी सेवाएँ प्रदान करने के हित लग्य का विस्तार मंजूर कर सकेंगे।

1963 Oct 31

47. (1) पारंपरीय पूजनीय परिषद अधिनियम, 1992 के अधीन गठित पारंपरीय पूजनीय परिषद के किसी दृष्टि और शक्तियों पर प्रतिकृति प्रमाण लाले बिना, वसुचित स्थानकार इस अधिनियम के प्रयोगजों के लिए यानव स्मारकन का विकास करने के लिए प्रयाप करेंगी और उस भ्राता के लिए निम्नलिखित जरूरतें-

(क) पंचानन्दी राज मदस्यों, विषायकों, प्रशासकों, एवं लिपियों, व्याजार्थीशों, चकीलों के प्रशिक्षण के लिए सभी प्रायोगिकों में उड़ियालाला के अधिकारी पर अनुप्रयत्न संविधान।

(४) विद्यालयी, महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी के अध्यापकों, चिकित्सकों, नसी, अर्थोचित्तवा कार्यपालों, सामाजिक कलाभण्य और धर्मार्थी, ग्रामीण विकास उन्नतालाभी, आशा और कर्ताओं, आगंगजाड़ी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरें, वास्तुविदों, अन्य चुनिकों और सम्बुद्धिपक्ष कार्यकर्ताओं के लिए दर्शी शीक्षक पाठ्यक्रमों के लिए विद्यालयी का समर्पक करें हम में समर्पण करते।

(ग) स्वावलम्बी जीवन के प्रशिक्षण और परिवारों के लिए सामूदायिक संबंधों, समुदाय के सदस्यों और अन्य पण्डारियों और देख-रेख करने और सहजता करने पर देख-रेख प्रदाता सहित यापता नियमित रूप से आयोजित कराया।

(भ) पारस्परिक योगदान और आदर पर समृद्धाय संवेदी का विर्माण करने के लिए दिल्लीवाजनों वो निम्न सुनियोग प्रतिबिम्ब मिलित करना।

(क) कोडा, छेलवर, रोनाचकारी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ फ्रॉड अध्ययनकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचयन करना।

(च) कोई अन्य कमल जिकास के रूपाय, जो आवश्यक हैं।

२८) सभा विधायक विभाग के द्वारा अनुमति की जाएगी। अनुमति के बाद विधायकों का विभाग में विशेष विभाग बनाया जाएगा।

१३७ उत्तरार्द्ध (१) का विवेत बयानिका को दूसरे काल के लिए सनुचत संरक्षकर फ़ासल पार जैसे प्रभावशक्ति आपसिंह शिरलोकगां जैरोडी और भट्टी, प्रवेश, सुप्रशंखरता आपसम्मतण और इस आधिनियम में विभिन्न उत्तरदायियों के निवाह के लिए डायुक्ट कार्गिकों के उत्तराधिकार बनाएगी।

48. मनुष्यत रोककर दिल्लीगंजना चाला मध्या सूधारन सकता आर चालवडमी चो मध्याजिक लेखापरिका यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि स्वीम और कार्यक्रम दिल्लीगंजना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दालते हैं और दिल्लीगंजना की अपेक्षाओं और चिंताओं के लिए अवश्यक हैं।

जापनी द्वारा
हृत्क के लिए
प्राप्त होता।

१०४

अध्ययन ९

दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

सक्षम प्राधिकारी।

४९. राज्य सरकार, ऐसे प्राधिकारी औ नियुक्त करेगा जो वह इस अध्याय के प्रश्नोंमें वे लिए सक्षम प्राधिकारी होने के लिए दैर्घ्य समझे।

राज्यसभा।

५०. इस अधिनियम के अधीन जैमा अन्यथा उपचारित है उसके मिवाय, कोई भी ज्ञानित दिव्यांगजनों के लिए, किसी संस्था की त्वापना या उपका अनुदान इस नियम द्वारा उपका जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार हो करेगा अन्यथा नहीं।

परंतु मानसिक रूप से राज्य ज्ञानियों की देवदेव रेख के लिए कोई संस्था जो मानसिक स्वाक्षर अधिनियम, १९८२ की धारा ४ या तत्त्वमय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन विधानाच्य अनुज्ञान भारत, १९८२ का १४ करती है, उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण किए जाने वाली उपकरणका नहीं होगी।

अधेन और
रजिस्ट्रीकरण
प्रमाणपत्र की
संज्ञा।

५१. (१) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन द्वारा प्राधिकारी को ऐसे प्रलय और ऐसी रीट में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित वर्दि जाए।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जो वह दोनों समझे और वह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों को अपेक्षाकृत वा अनुपालन किया है, वह आवेदन को प्राप्ति के ९० दिन वाली अवधि के मौत्र आवेदक को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र मंजूर करेगा और यदि उपका समाधान नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकारी, आदेश द्वारा आवेदन किए गए प्रमाणपत्र को मंजूर करने से इकाई कर देगा।

परंतु सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र मंजूर करने से इकाई करने वाला कोई आदेश उसके से पूर्व आवेदक को सुने जाने का सुनियुक्त अवसर देगा और प्रमाणपत्र मंजूर करने से इकाई का प्रत्येक आदेश आवेदक को लिखित में संम्मत करेगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र नब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक संस्था जिसके बारे में आवेदन किया गया है, ऐसी सुनियुक्त प्रदान करने और ऐसे मानक जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, को पूरा करने की स्थिति में न हो।

(४) उपधारा (२) के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र —

(क) जब तक भारा ३२ के अधीन उत्तिसहित नहीं होता ऐसा अवद के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित वाली जाए, प्रवृत्त रूप होगा;

(ख) वैसी ही अवधि के लिए, समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा; और

(ग) ऐसे प्रलय में होगा और ऐसी शर्तों के अन्यधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(५) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को नवीकरण के लिए कोई आवेदन विधानाच्यता को अलंक की समीक्षा के काम से कम राह दिन सूर्य किया जाएगा।

(६) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संस्था द्वारा सहवाल्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

(७) उपधारा (१) वा उपधारा (५) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का निकटा, स्थान प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित वाली जाए।

रजिस्ट्रीकरण का
प्रतिसंरक्षण।

५२. (१) सधन प्राधिकारी, यदि उपका विश्वास करने का यह लाभ है कि वारा ५) वा उपधारा (२) के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के घारक ने—

(क) प्रमाणपत्र के जारी करने वा नवीकरण के लिए किसी आवेदन के संबंध में ऐसा वर्णन किया है जो गलत है या तात्त्विक विधिनियों में पिछा है; और

(ख) नियमों वा किन्हीं (ऐसी शर्तों को पांच किया है या अंग वारकाया है जिनके अधीन प्रमाणपत्र मंजूर किया गया था,

वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह दीक्षित यमदौ आदेश द्वारा प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत कर सकेगा:

एस्ट्रु ऐसा लोई आदेश तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि प्रमाणपत्र के भारत को इस बात का राजनीतिक बताने का अवसर न प्रदान कर दिया हो कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रतिसंहृत वयों न कर दिया जाए।

(२) जहाँ किसी संस्था के संबंध में उल्घाता (१) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहृत किया गया है वहाँ ऐसी संस्था ऐसे प्रतिसंहृत को तरीख से कार्य करना बन्द कर देगी;

परन्तु जहाँ प्रतिसंहृत आदेश के विरुद्ध भाग ५३ के अधीन लोई अपील होती है, वहाँ ऐसी संस्था निम्नलिखित दशाओं में कार्य करना बन्द कर देगी,—

(क) जहाँ ऐसी अपील प्राप्त करने के लिए विहित अवधि के अवधान पर तुरंत अपील नहीं की जाए है, या

(ख) जहाँ ऐसी कोई अपील की जाए है, किन्तु अपील के आदेश लो तारीख से प्रतिसंहृत आदेश जो मान्य नहीं गया है

(३) किसी संस्था को बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को ग्रान्टसंहृत पर, दक्षम प्राधिकारी पिंडेश दे सकता कि कोई दिव्यांगजन जो ऐसे प्रतिसंहृत को तारीख को, ऐसी संस्था में अन्तिम बायो है,—

(क) यथानियति, उसे उसके माता-पिता, पति या फली या विधिक संरक्षक को अधिकारी व प्रत्यानियत कर दिया जाएगा, या

(ख) यहम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्था को यथानियत कर दिया जाएगा

(४) प्रत्येक संस्था जो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र धारण करता है विषवा इस भाग के अधीन प्रतिसंहृत बार लिया गया है, ऐसे प्रतिसंहृत के गुरुत्व पश्चात् ऐसे प्रमाणपत्र को यथाम प्राधिकारी को अन्तिमत कर देगी।

५३. (१) प्रमाणपत्र प्रदान करने से इकार करने या प्रमाणपत्र का प्रतिसंहृत करने के सक्षम प्राधिकारी को अपील आदेश से व्यवित व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा यथानियत अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसे अपील प्राप्तिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाए, अपील कर सकेगा।

(२) ऐसी अपील जब अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

५४. इस अध्याय में अन्तिमिट कोई बात लेन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए स्थापित अनुशासन किसी संस्था को लागू नहीं होगा।

आदेश का फैन्डोव या राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की लागू नहीं होगी।
अनुशासन किसी संस्था को लागू न होगा।

५५. समुचित सरकार उसकी अधिकारी भनता और विकाल की योग्यता के भीतर रजिस्ट्रीकरण संस्थाओं को सेवा प्रदान ऊरने के लिए और इस अधिनियम के उपर्योग के अनुसार में स्वीकृत और कार्यकर्ता को जागीरित करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती।

रजिस्ट्रीकरण संस्थाओं का प्राप्तान

अध्याय 10

विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रधान

५६. केन्द्रीय सरकार विस्तीर्ण व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सेवा का नियोग करने के प्रत्येक जन के लिए विनिर्दिष्ट विशेषज्ञता की नियोग के लिए, मानोदशक विद्यार्थी को अधिसूचित करेगी।

विनिर्दिष्ट विशेषज्ञता की नियोग के लिए, मानोदशक विद्यार्थी।

५७. (१) समुचित सरकार अपीलिंग अहीराह और अनुभव ग्रहन वाले अवकाशों को उपलब्धता प्राधिकारियों के रूप में प्रदान करेगी, जो दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

प्रमाणपत्र प्रधिकारियों के प्रदानपत्र।

(2) समुचित सरकार उस अधिकारियों की ओर उन विवरणों और शब्दों की भी अधिसूचित करेंगी जिनके अधीन उन्हें दृष्टि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अथवे प्रमाणकर्ता कल्पना का पालन करेगा।

प्रमाण की विवरण। 58. (1) छोटे विनियोग दिव्यांगजन अधिकारियों खुने वहाँ प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसी रूप में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चिह्नित की जाए, दिव्यांगजन वा प्रमाणपत्र आदि करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपर्युक्त (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, धारा 56 के अधीन अधिसूचित सुसंगत मानदण्डक सिद्धांतों के अनुसार संबंधित व्यक्ति को दिव्यांगता का प्रिधारण करेगा और ऐसे निधारण के पश्चात् नवाचाह व्यवस्था है—

(क) ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्रक्रम में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चिह्नित किया जाए, दिव्यांगजन वा एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ख) उसे लिखित में सूचित करेगा कि उसको कोई विनियोग दिव्यांगता नहीं है।

(3) इस धारा के अधीन जारी दिव्यांगजन वा प्रमाणपत्र संपूर्ण देश में मान्य होगा।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनियोग में विवरण 59. (1) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनियोग से व्यक्ति कोई व्यक्ति, ऐसे विनियोग को विनियोग ऐसे शम्भव और ऐसी रूप में जो राज्य सरकार द्वारा चिह्नित की जाए, इस द्वयोंने के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा पदाधिकारी अपेक्षा प्राधिकारी को अपेक्षा कर सकेगा।

(2) किसी अपाल की प्राप्ति पर अपेक्षा प्राधिकारी अपेक्षा वा ऐसी रूप में, जो राज्य सरकार द्वारा चिह्नित की जाए, विनियोग करेगा।

अध्याय 11:

केन्द्रीय और राज्य दिव्यांगता संलग्नकार बोर्ड तथा लिला स्टर समिति

केन्द्रीय संलग्नकार तथा लिला स्टर का विनायक विभाग 60. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय दिव्यांगता संलग्नकार बोर्ड के भाग में जात एक निकाय का गठन, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रत्येक विवरणों का प्रयोग करने के लिए और संघीय गए घृत्यों का निवेदन करने के लिए करेगा।

(2) केन्द्रीय दिव्यांगता संलग्नकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार के दिव्यांगजन कार्य विभाग का प्रभारी नियुक्ति—पदेन अध्यक्ष;

(ख) केन्द्रीय सरकार के दिव्यांगता कार्य मंत्रालय में दिव्यांगता कार्य विभाग से संबंधित प्रभारी तथा नियुक्ति—पदेन उपाध्यक्ष;

(ग) दीन वांसव, जिनमें से दो का निवेदन लोक सभा द्वारा और एक का राज्य सभा द्वारा किया जाएगा—पदेन सदस्य;

(घ) पर्यावरण के दिव्यांगता कार्य के प्रभारी नियुक्ति और संघ गत्यश्वेती के प्रशासक/उपप्रशासक—पदेन सदस्य;

(ङ) दिव्यांगता कार्य सामाजिक न्याय और अधिकारियों, रक्षा शिक्षा और साक्षरता तथा उद्यात शिक्षा, गतिला और जाल जिकाम, व्यय, व्यापिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिक्षायत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, ज़हरी विकास, आवास और राहगी गरीबी उन्नति, विज्ञान और वैद्योगिकों, संचार और मूद्रा वैद्योगिकों, विधि कार्य लोक उदाध, युवा ज्ञान और लेल, गढ़क परिवहन और गतिमान, जागर विमान गंतव्यालयों वा विभागों के आवासक व्यवस्था, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(च) सांघिक, नेशनल इस्टीक्यूट आफ इंसलामिंग इन्डिया (नामि) आदेन—पदेन सदस्य;

(ज) जायक्ष, भारतीय इन्डियास पर्लियम्—पदेन सदस्य;

(झ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वलीनता, प्रमाणिक घर, स्वराज्यगता, मानविक मंदिर और गहुदिव्यांगता कल्याण न्याय—पदेन सदस्य;

- (ङ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय दिव्यांग विह विकास निगम—पदेन सदस्य;
- (ञ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कृत्रिय औ विनिर्माण निगम—पदेन सदस्य;
- (ट) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—पदेन सदस्य;
- (ठ) महानिदेशक, नियोजन और प्रशासन, भ्रम और रोजगार विभाग—पदेन सदस्य;
- (ड) निदेशक, राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रतिक्रिया परिषद्—पदेन सदस्य;
- (ढ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्—पदेन सदस्य;
- (ण) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—पदेन सदस्य;
- (᳚) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्—पदेन सदस्य;
- (᳚) निमंजित संस्थानों के निदेशक पदेन सदस्य हों—
- (i) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून;
 - (ii) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, शिक्कनदराबाद;
 - (iii) गोडिल दीनदयाल रायभाइय राष्ट्रीय शास्त्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली;
 - (iv) अली यादव लंग राष्ट्रीय याकू इंड श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, हूम्बर्ड;
 - (v) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता;
 - (vi) राष्ट्रीय पुनर्जीव प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कठुक;
 - (vii) राष्ट्रीय छतु दिव्यांगजन मशाजितकरण संस्थान, लैनहैं;
 - (viii) राष्ट्रीय मानविक स्वास्थ्य और विद्यान संस्थान, विजयगढ़;
 - (ix) इंडियन साइन लैंबेज रिसर्च एंड डेविलपमेंट संस्टर, दिल्ली;
- (द) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जिए जाने वाले सदस्य,—

- (i) पांच लोकेन्ज जो हिज्बांगता और पुनर्जीव के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं;
 - (ii) दिल्ली में संवर्धित ऐर-सरकारी संगठनों या दिव्यांगजन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक उचित हो, ऐसे दस व्यक्ति, जो दिव्यांगजन हों;
- परंतु नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से कम से कम पांच महिलाओं होनी चाही वे इन क्षेत्र में कम एक-एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होंगा;
- (iii) राष्ट्रीय स्तर के बाणीज्य और उद्योग-प्रबन्ध में से तीन प्रतिनिधि हों;
- (४) दिव्यांगता नीति के विषय से संबंधित भारत सरकार का संकुल सचिव—पदेन सदस्य सचिव।

61. (१) इस अधिनियम के उल्लेख अन्यथा उपर्युक्त की स्वित, धारा ६३ की उपर्युक्त (२) के खंड (३) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोन्ट्रोप सलाहकार बोर्ड का लोइ घटाक उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन लर्व तक अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परंतु ऐसा सदस्य उल्लेख पदाधिक जो उमानि के होते हुए भी तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधीन पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(२) केंद्रीय सरकार, यदि वह दीज समझे तो धारा ६३ की उपर्युक्त (२) के खंड (३) के अर्द्दे नामनिर्दिष्ट जिसी सदस्य की उपर्युक्त पदाधिक की समाप्ति से पूर्व उसे इनुक उपर्युक्त करने वा दुवितुक्त अवधि दी जो पश्चात् पद से हट सकेगी।

(3) यहाँ 60 वीं उपधारा (2) के छंड (d) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हल्लाकार से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तापश्चात् उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(4) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने किसी अवस्थिति के लिए नामनिर्दिष्ट लक्षित केवल उस सदस्य की शेष अधिकारी के लिए पद भारण करेगा जिसके स्वतं पूर्ण वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(5) यहाँ 60 की उपधारा (2) के छंड (d) वा उपछंड (i) वा उपछंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य पुनःनामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं।

(6) यहाँ 60 की उपधारा (2) के छंड (d) के उपछंड (i) और उपछंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे भर्ते गाते रहे होंगे जो केंद्रीय सलाहकार द्वारा घोषित किया जाए।

मिहंसा:

62. (1) कोई व्यक्ति कोंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा,—

(क) जो दिवालिमा है या जिसे किसी समय दिवालिमा न्यायान्वर्ती घोषा गया है या उसमें आपने अपने अधिकारों के संदर्भ को निर्णयिता किया है या अपने लेनदेनों के साथ उपराजन किया है, या

(ख) जो विकृचित है और उसे सकृद न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) जो ऐसे किसी अपराध के लिए मिठुदोष है या उहताया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार का राय में नैतिक अधिगता अंतर्भूत है, या

(घ) जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या जिसे किसी समय मिठुदोष उहताया गया है, या

(ङ) जिसने केंद्रीय सरकार को राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दूसरपक्षा किया है जो उसके पद पर चर्चा रहने वाले साधारण जनता की विरों के प्रतिकूल उहताया है।

(2) इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार हुआ हुआ जाने का बोर्ड आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक जिस बदल की दखल लेकर उपराजन करने का युक्तिगूच्छ अवसर प्राप्त नहीं कर दिया जाता है।

(3) यहाँ 61 की उपधारा (1) वा उपधारा (5) में अलंकृत कियी गयी बात के दोनों हुए भों, इस धारा के अधीन पद से हुएगा या बोर्ड सदस्य, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

गटरण द्वारा अपनों
की विजय:

63. यांत्रिकोंद्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य, यहाँ 62 में विभिन्निर्दिष्ट निरहताप्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान चित्र हो जाएगा।

केंद्रीय दिव्यांगता
सलाहकार बोर्ड की
केवल:

64. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड प्रबन्धक हल माम में जाप से बाहर राज बैठक करेगा और अपनों बैठकों से कारबार के संज्ञानहर के लिए ऐसे नियमों और प्रक्रिया का उन्नयालान करेगा जो विहित की जाए।

केंद्रीय दिव्यांगता
सलाहकार बोर्ड के
सूला।

65. (1) इस आधिकारिक के उपराजनों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड, दिव्यांगता विषयी पर यांत्रिक स्तर का पर्याप्ताना और सलाहकार निकाल होगा और दिव्यांगजनों के संशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपयोग के लिए व्याप्र नीति के बाबत जिकास को सुकर चराया जाएगा।

(2) विशिष्टता और पूर्वानुषीलित उपराजनों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जिना, केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड नियन्त्रित करते हुए जालान करेगा, अपारं:

(क) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को दिव्यांगता के बारे में नीतियों, कार्रक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना,

(ख) दिव्यांगजनों से संबोधा मुद्दों पर ज्ञान देने के लिए एक यांत्रिक नीति का जिकास करना,

(ग) सरकार के सभी विभागों तथा सरकारी और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के, जो दिव्यांगजनों में संबोधित नामलों में संबोधित हैं, कार्यवालाओं का पुरावेलोकन और समन्वय करना,

(८) राष्ट्रीय योजनाओं में दिव्य गाजनों के लिए स्कॉमों और परियोजनाओं का उपयोग करने की दृष्टि से संबंधित ग्राहिकाएँ और जनरलर्स्ट्री लोगों के साथ दिव्यगाजनों के मामलों पर चिन्ह बरना;

(९) सूचना, सेलाओं के प्रति दिव्यगाजनों का पहुंच, युविलेबल वास और ऐश्वार्यीनता को सुनिश्चित करने के लिए और उसके लिए वातावरण रोधा करना तथा सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी के लिए उपायों की विकारिश करना;

(१०) दिव्यगाजनों की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की सफलता के लिए विधायी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटी और पुल्यांकन करना; और

(११) ऐसे अन्य कृत्य करना जो लम्बे यमय पर केंद्रीय सरकार द्वारा की जाए।

66. (१) ग्रन्थीकार सरकार, अधिकृत द्वारा ग्रन्थ दिव्यगाजना सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक ग्रन्थिलाइट निकाय का गठन इस अधिनियम के अधीन नए प्रदत्त लोकों को प्रयोग करने के लिए और सौन्दर्य एवं कृत्यों का सलाहकार बोर्ड विवेहन करने के लिए करेगी।

(२) ग्रन्थ सलाहकार बोर्ड निर्वाचित से नियमित करेगा—

(क) ग्रन्थ सरकार के दिव्यगाजना मामलों से संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री—अध्यक्ष पदेत;

(ख) ग्रन्थ सरकार के दिव्यगाजना मामलों से संबंधित विभाग पांडित कोई है, जो प्रभारी ग्रन्थ मंत्री या उपनियोगी—उपाध्यक्ष पदेत;

(ग) दिव्यगाजना कर्त्ता, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, वित्त, कार्यिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, अधिकारीनियती और संवर्धन, भूमि और दैजगार, इहरी विकास, आवास और शहरी परियोग उन्मुक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक उद्यम, दुवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और कोई अन्य विभाग जिसे ग्रन्थ सरकार जाबेश्यक समझे, के भारताभ्यक्त ग्रन्थ सरकार के नियमित—पदेत सदस्य;

(घ) ग्रन्थ विधान—मंडळ के नींव सदस्य जिनमें से दो का निर्वाचन विभाग द्वारा और एक सदस्य वा विधान परिषद् विधि कोई हो, द्वारा किया जाएगा और जहाँ बोर्ड विभाग परिषद् नहीं है, वहाँ तीनों सदस्यों का निर्वाचन विधान सभा द्वारा किया जाएगा—सदस्य पदेत;

(ङ) ग्रन्थ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने जाने सदस्य—

(i) एवं सदस्य जो दिव्यगाजना और मुकाबले वो शेष में विशेषज्ञ हैं;

(ii) जिलों का ऐसा राजि में जो विशिष्ट की जा, प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्रन्थ सरकार ने ग्रन्थ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने जाने पांच सदस्य;

परंतु इस उत्तरदाता के कुछी—कोई नामनिर्देशन मिलने संबंधित जिला प्रशासन की शिकायिया के नहीं किया जाएगा;

(iii) ग्रन्थ सरकार संगठनों या संगमों जो दिव्यगाजना से संबद्ध हैं, का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहाँ तक व्यवहार्य है, ऐसे दस लोक, जो दिल्लीगढ़ होंगे;

परंतु इस सर्वह के अधीन नामनिर्देश दस व्यवहार्यों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी और कम से कम एक—एक अधिक अनुचित अनुचित जाति और अनुमुचित जनजाति में से होंगी;

(iv) ग्रन्थ व्याधिक्य और उपयोग मंडल में से हीन से अन्वयित प्रतिनिधि;

(v) ग्रन्थ सरकार ने दिव्यगाजना विभाग से संबंधित विभाग में ऐसे अधिकारी जो संपूर्ण स्वीकार की वंजत से नीचे वीर पंचत का न हो—पदेत सदस्य—सचिव।

67. (१) इस अधिनियम के अधीन ग्रन्थ सलाहकार बोर्ड का सदस्य, जो ६६ वी उधारा (३) के खंड (ङ) सदस्यों को सेवा के के अधीन नामनिर्दिष्ट ग्रन्थ सलाहकार बोर्ड का सदस्य उसके नामनिर्देशन की सारोंग से तीन बर्ष की अनुभि के नियम दीर रहें। लिए, वह धारन करेगा;

परंतु ऐसा सदस्य उसकी एवाचापि जो समाजिक देवते हुए भी हब हक अपने वह पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरजहाँ पदवाहण नहीं कर लेता है।

(2) राज्य सरकार यदि वह चोई नामहे तो धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (इ) के अधीन नामनिर्देश किसी सदस्य की उम्रकी पालांगी वी समाजिक सूची उमे इन्हें उपराजित करने वा गुरुकुल अवसर देने के पश्चात् पद से हटा सकेगी।

(3) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (इ) के अधीन नामनिर्देश द्वाई सदस्य राज्य सरकार को संबंधित अपने हलाकार से किसी भी मन्त्र अपने पद से बदल सकेन। और राष्ट्रपति उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(4) राज्य सलाहकार चोई में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देश द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देश व्यक्ति के बाद उस पदस्थ वी हेतु अवधि के लिए पद बताय करेगा जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्देश किया नया था।

(5) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (इ) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन नामनिर्देश द्वाई सदस्य पुनः नामनिर्देश के लिए पाव छोगा।

(6) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (इ) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन नामनिर्देश सदस्य ऐसे भरने प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिया गिया किए जाएं।

अलंकार:

68. (1) चोई व्यक्ति राज्य सलाहकार चोई का सदस्य नहीं होगा—

(क) जो दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्यायालयीत किया गया है या उसने अपने उम्रों के संदाय को निर्णयित किया है या अपने लैन्ड्रों के साथ उपशमन किया है, या

(ख) जो विकृतचित है या ऐसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) जो किसी अपराध के लिए लिफ्टोंग है या उत्तराय गया है जिसमें राज्य सरकार की रुप ने विक्री अधमता अंतर्भूति है, या

(घ) जिसने राज्य सरकार जी गय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुष्प्रयोग किया है जिसमें उसका राज्य सलाहकार चोई में बने रहना साधारण बनता हो दियों के लिए लानिकर है।

(2) इस भाग के अधीन राज्य सरकार द्वारा पद से हटाने वा चोई आदेश द्वारा उह नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को, उल्के विकल सेन्ट्रुल दिविंग करने का यक्तियुक्त असर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

(3) धारा 67 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में अंतिमें जिसी जात के होते हुए थी, चोई सदस्य जो इस भाग के अधीन हटाया गया है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देश के लिए पाव नहीं होगा।

अलंकार द्वारा देना:

69. यदि राज्य सलाहकार चोई का चोई सदस्य धारा 66 में विनिर्देश निर्देश द्वारा हो जाता है तो उसका स्थान दिल्ली हो जाएगा।

70. राज्य सलाहकार चोई प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कामबाहर के संबंधित के ऐसे नियमों या प्रक्रिया का जनुपालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न को जाए

71. (1) इस अधिनियम के उपर्योगी वी अधीन सहते हुए, राज्य सलाहकार चोई दिल्लीगता वापलों पर उक्त राज्यसभीय परामर्शदाता और सलाहकार नियाय होगा तथा दिल्लीगतों के भागजिकारण और उपरिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए सामान नीति जो सतह विकास को सुरक्षा बनाएगा।

(2) विशिष्टताया और वृत्तिगती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव जाने विना, राज्य दिल्लीगता मलाहकार चोई निन्नलिखित कल्पों का यातन करेगा, उपर्युक्त

(क) राज्य सरकार को दिव्योंता वी चावत नीतियों, ज्ञानेकारण, विभान और परियोजनाओं पर सलाह देना;

(ख) दिल्लीगतों में संबंधित गुदों पर ध्यान देने के लिए एक राज्य नीति जा लिकास करना;

(ग) राज्य सरकार के सभी विभागों और राज्य गवर्नर और गैर-सरकारी मंगलों के जो दिल्लीगतों में संबंधित वापलों से संबंधित हैं, वायवकालीनों का पुनर्विलोकन और समन्वय करना;

(म) ग्रन्थ योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए स्कॉर्स और परियोजनाओं का उत्पाद करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ दिव्यांगजनों के समलौ पर विचार करना;

(ह) दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, सुविधायुक्त रूप से जाप, प्रदानावहनता सेवाओं की सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना और आवारण रीपार करना यथा अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर सामाजिक जीवन में उपलब्धी भागीदारी करना;

(च) दिव्यांगजनों की संपूर्ण भागीदारी की सफलता के लिए विभिन्न नीतियों और डिजाइन लिए गए कानूनों के प्रभाव को मापोड़ते और मूल्यांकन करना, और

(झ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा मीटे जाएँ।

72. यह स्वकार, ऐसे कृत्य जो विहित किए जाएं, का यातन करने के लिए लिला सदा दिव्यांगता विला सदा दिव्यांगता नीतियाँ।

73. केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड या निला स्तर दिव्यांगता समिति का जोई कार्य या कार्यवाही के बचत इस आधार पर प्रश्नागत नहीं होगी जिसका अधिकारी ऐसे बोर्ड या समिति में कोई निवाप्ति है या गठन में जोई नहीं है।

अन्ताच 12

दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त

74. (१) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त नियुक्त जाएँगे (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मुख्य आयुक्त” कहा गया है) नियुक्त कर सकेंगी।

(२) केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त जो महावता करने के लिए अधिसूचना द्वारा दी आयुक्तों को नियुक्त कर सकती, जिसमें से एक आयुक्त दिव्यांगजन होगा।

(३) जोई अवित मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में नियुक्त नियंत्रित जाने के निए तब तक अशित नहीं होगा जब तक कि उसे मुनर्जिय से संबंधित जिल्हों के संचालन में विशेष जानकारी या ज्ञानात्मक अनुभव न हो।

(४) मुख्य आयुक्त और आयुक्तों को संदेश वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य विवरण और शर्तें (जिसके अंतर्गत पैशान, उपचान और अन्य सेवानिवृति कापदे भी हैं) दे दींगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएँ।

(५) केन्द्रीय सरकार नुस्खा आयुक्त की उनको जल्दी के नियहन में सहायता करते होंगे जिसके अंतर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति तथा प्रयोगों का आवधारण करेंगी और मुख्य आयुक्त को उतने ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी डाकतात्त्व कराएंगी, जो यह छोड़ सकते।

(६) मुख्य आयुक्त को उपलब्ध कराए गए आधिकारी और कर्मचारी मुख्य आयुक्त के यातारण अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन अपने कृत्यों का नियहन करेंगे।

(७) अधिकारियों और कर्मचारियों के बेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें दी जाएँगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ।

(८) मुख्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति द्वारा महावत की जाएगी, जो विभिन्न दिव्यांगजनों को देश से आपात सम्बन्धों रो ऐसी सुनित हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए गिरवाकर देंगी।

75. (१) मुख्य आयुक्त —

मुख्य आयुक्त के कृत्य।

(क) स्वप्रेषण से या अन्यथा किसी विधि के उपलब्ध या नीति, वायकम और इकायों की प्रहचान करेंगा, जो इस अधिनियम से असंगत है और आवश्यक सुधारकारी रूपयों की स्थिरारिश करेंगा,

(ख) संघरेणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारी में बदल करने और उन लिए वे संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षातारों को जांच करेगा जिनके लिए जननीय सरकार समूचा सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास नमले जो उपलब्ध हैं।

(ग) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या उसमें इच्छित किसी अन्य विविध द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारी के संशोधन के लिए उपलब्ध सुरक्षातारों का पुनर्विनाशकन करेगा और उनके पुनर्भारी कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध की मिफारिश करेगा;

(घ) उन कारकों का पुनर्विनाशकन करेगा, जो दिव्यांगजनों के आधिकारी का उगामेन करने से वापस उपलब्ध करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपलब्ध की मिफारिश करेगा;

(ङ) दिव्यांगजनों के अधिकारी पर सीमित और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अद्ययन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मिफारिश करेगा;

(च) दिव्यांगजनों के अधिकारी के लिए ग्रन्तीसामन करेगा और उसका रोकथम करेगा;

(छ) दिव्यांगजनों के आधिकारी और उनके संशोधन के लिए उपलब्ध सुरक्षातारों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा;

(ज) दिव्यांगजनों के अधिकारी के लिए आवासित इस अधिनियम के उपर्योगी, स्थानीय और वार्षिकगों के कार्यान्वयन को मानोदर्शी करेगा;

(झ) दिव्यांगजनों के पालन-पोषण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भवित्वात् अधिकारी के उपर्योगन को मानोदर्शी करेगा; और

(ञ) ऐसे अन्य कानूनों को करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मानोदर्शी जाए।

(2) मुख्य आयुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने कूल्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी विषय पर आयुक्तों से परामर्श करेगा।

मुख्य आयुक्त की प्रभाविति पर सुनिक नामनामीयों द्वारा कार्रवाई

76. जब भी मुख्य आयुक्त घारा 75 के खंड (ख) के अनुसार में किसी शाधिकारी को मिफारिश करता है तो वह प्राधिकारी उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और मिलाइया गाल होने वी तारीख से तीन मास की अंतर की एवं कार्रवाई से नुक्त आयुक्त को सुनिक करेगा;

परन्तु जहाँ कोई प्राधिकारी किसी विवाहित व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता है तो वह उसके स्वीकार न करने के कारणों द्वारा जीवन की कालापांडि के भोतर मुख्य आयुक्त को ज्ञाएगा और व्याधित व्यक्तियों को भी पूर्चित करेगा।

मुख्य आयुक्त की अधीन सम्बन्धित मामलों के संबंध में किसी वाद का विवारण करने सम्बन्धित प्रक्रिया

77. (1) मुख्य आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन अपने कूल्यों का निर्वहन करने वे प्रयोगन हैं लिए जानी जानी होती, जो विनांतरित मामलों के संबंध में किसी वाद का विवारण करने सम्बन्धित प्रक्रिया हैं। 1998 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर करना;

(ख) किसी दल्लालियों का प्रलटोडरण और वेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी व्याधालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उपको प्रांतों की अव्याप्ति करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष लगान करना; और

(ङ) किसी साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) मुख्य आयुक्त की समस्य प्रलेख कार्रवाई भारतीय टेल सोसायटी की घारा 193 और घारा 228 के अन्तर्गत 1900 का 45 में व्याधिक कार्यालय होगी तथा मुख्य आयुक्त को टेल प्रक्रिया संहिता, 1973 की घारा 195 और अन्याय 26 के 1974 का 2 प्रयोजनों के लिए मिशनल व्याधालय समझा जाएगा।

78. (1) सूच्य आयुका के द्वाय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी संघर्ष किसी विषय पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगा जो उसको राष्ट्र में ऐसी अव्यावश्यकता या महत्व का है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आवश्यक नहीं किया जा सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, पुस्तक आयुका को जारीक और विशेष रिपोर्ट को संघर्ष के प्रत्येक महत्व के सामाजिक विषयों पर वी नई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशों को स्वीकार न करने के बारे, यदि जोई हों, पर एक ज्ञापन की साथ सख्ताएँ।

(3) ग्रांप्रेस और विशेष रिपोर्ट को ऐसे प्रलेप और दैति में रेयर किया जाएँ तथा उनमें ऐसे वीरे अंतर्विषय होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चिह्नित किए जाएँ।

79. (1) राज्य सरकार, अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के विवेकन को लिए दिव्यांगजनों के लिए एक राज्य आयुका (जिसे इसमें इसके प्रशासन "राज्य आयुका" कहा गया है) नियुक्त करेगी।

(2) जोई व्यक्ति सूच्य आयुका के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अस्तित नहीं होगा जब तक कि उसे गुरुवार से शनिवार विषयों के संबंध में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव न हो।

(3) राज्य आयुका अधिकारी को संदेश खेत्र और भवते तथा सेवा को अन्य नियन्त्रण और शर्तों (जिसके अंतर्गत ऐश्वर्य, उपदान और अन्य सेवानिवृति फायदे भी हैं) दे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएँ।

(4) राज्य आयुका को संदेश खेत्र और भवते तथा सेवा को अन्य नियन्त्रण और शर्तों (जिसके अंतर्गत ऐश्वर्य, उपदान और अन्य कमेंटरीयों की उच्चता तथा प्रत्यार्थी का अव्यावहारण करेंगे और सूच्य आयुका को उनमें अधिकारी और अन्य कमेंटरीयों का उपलब्ध कराएँगी, जो उन टांक लग्ज़े।

(5) राज्य आयुका को उपलब्ध कराएँ गए अधिकारी और कमेंटरीयों द्वारा आयुका जो साधारण अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन अपने कूलीं का निवेदन करेंगे।

(6) अधिकारीयों और कमेंटरीयों के खेत्र और भवते तथा सेवा को अन्य शर्तें दे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा चिह्नित की जाएँ।

(7) राज्य आयुका की एक सहायक विधि द्वारा सहायता दी जाएँगी, जो विभिन्न दिव्यांगजनों के बीच संघर्ष में अन्यून सदृश्यों से ऐसी शर्तें हैं, जो तथ्य सरकार द्वारा चिह्नित दी जाएँ, ग्रांप्रेस द्वारा।

80. राज्य आयुका,—

राज्य आयुका को देखा।

(क) स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विविध जै उपचारों या दीनि, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेंगा, जो इस अधिनियम से असंतुष्ट हैं और आवश्यक सुधारकारी उपायों की सिपारिश करेंगा;

(ख) स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारी से विवरण करने और उन विषयों के संघर्ष में उनके उपलब्ध सुरक्षापालों का जाच डरेगा जिनके लिए राज्य सरकार लम्पिचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए मनुष्यवित प्राधिकारीयों को जास नामहो को उड़ाएगा;

(ग) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रस्तुत किए अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारी के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापालों का गुरुचिलोकन करेगा और उनके प्रबाली कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;

(घ) उन कारबों का युनाइटेड करेंगा जो दिव्यांगजनों के अधिकारी का उपयोग करने में आधा द्वारा करते हैं तथा समूचेत सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ङ) दिव्यांगजनों के अधिकारी के बीच में अनुदर्शन करेंगा और उनका संबंधन करेगा;

(च) दिव्यांगजनों के अधिकारी और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापालों पर जागरूकता का संलग्न करेगा;

(छ) दिव्यांगजनों के लिए आशानित इस अधिनियम के उपचारों और स्कोर्पियों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटी करेगा;

(ब) दिल्लीगढ़ों के पात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा गंविहारि निपियों के उपयोगन को मानी जाएगा, और

(द) ऐसे राज्य कूल्यों को करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा लोए जाएं।

81. बब मी राज्य आयुक्त भारा 80 के खंड (ख) के अनुसार में किसी प्राधिकारी को निम्नलिखित लागत है तो वह प्राधिकारी द्वारा पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और सिकारिश ग्राहन की तारीख से तीन माह के भीतर की गई कार्रवाई से राज्य आयुक्त को गुणज्ञ करेगा:

राज्य जहाँ कोई प्राधिकारी इनमीं निम्नलिखित की स्वीकार नहीं करता है तो वह उसके स्वाक्षर न करने के कारणों को तीन माह का कालावधि के भीतर दिल्लीगढ़न राज्य आयुक्त द्वारा बताएगा और व्यक्तिगत व्यक्ति को भी सुनिश्चित करेगा:

82. (1) राज्य आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन उपने लग्जरी का नियंत्रण करने के प्रयोग के लिए वही इच्छियाँ होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के मंत्रिय में किसी वाद का विचारण करने समय संतुलित प्रक्रिया मंहिता, 1908 के अधीन नियंत्रण न्यायालय में निहित है, अथोल—
1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन लगाना और उसी लांचित करना;

(ख) किसी दस्तावेजों का एकटी करना और वेदा लिया जाना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अधिलेल या उसको प्रहितों को अधिशेष बारना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष घटण करना; और

(ङ) किसी साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) राज्य आयुक्त के समक्ष प्रत्येक कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की भारा 193 और भारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्रवाई होगी राज्य मुद्रा आयुक्त को और दंड प्रक्रिया मंहिता, 1973 की भारा 193 और अध्याय 26 के प्रयोगों के लिए नियंत्रण न्यायालय समझा जाएगा।
1908 का 45
1974 का 2

गण आयुक्त द्वारा वार्षिक और नियंत्रण विभाग की भारतीय दंड संहिता की भारा 193 और भारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्रवाई होगी राज्य मुद्रा आयुक्त को और दंड प्रक्रिया मंहिता, 1973 की भारा 193 और अध्याय 26 के प्रयोगों के लिए नियंत्रण न्यायालय समझा जाएगा।

(2) राज्य सरकार राज्य आयुक्त को वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को शाज्य विधान-मंत्र के प्रत्येक सदन के स्पष्ट उपको 'सफारियों पर कोई गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तुति कार्रवाई और सिफारिशों को वार्षिक न करने के आरण, यादि कोई हो, पर एक जापन की साथ रखेगा।

(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को ऐसे प्रलेप और रोक में हैवार किया जाएगा तथा उनमें ऐसे बंदर अंतर्विष्ट होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाएं।

अध्याय 13

विशेष न्यायालय

84. त्वारित विचारण इकान जरने के प्रयोगन के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुद्रा आयुक्तों की व्यहमति से, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में चिनिंदिए करेंगे।

85. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायालय में मामलों के अन्वालन के प्रयोगन के लिए विशेष लोक अधियोजक के रूप में एक लोक अधियोजक विनियोजित करेंगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को नियुक्त बरेंगी जो सात वर्ष से अन्तर्वर्ती अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा है।

(2) उधार : (1) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अधियोजक ऐसा एक या समिक्षक प्राप्त करते वा हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

अध्याय 14

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

86. (1) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि नामक एक निधि वा गठन किया जाएगा जिसमें नियुक्ति दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि।

1390 नमूद

(क) अधिभूतना राज्य का आया 373(3), तारीख 11 अगस्त, 1983 द्वारा गठित दिव्यांगजनों के लिए निधि और पूर्ति विनायक अधिनियम, 1890 के अधीन अधिभूतना मंड़बाझ 30-03-2004-दोहोरा, तारीख 21 नवंबर, 2006 द्वारा गठित दिव्यांगजन सशक्तिकरण व्यास निधि के अधीन उत्तम रूपी राशियाँ;

(ख) 2000 वी सिविल अपैल से 4655 वीर 5218 में तारीख 16 अप्रैल, 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुमति में देखो, नियमों, विहीन भौमिकाओं द्वारा संदेश सभी राशियाँ;

(ग) अनुदान, दानों, संदानों, उम्मुक्तियों, वर्मीयों वा अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से प्राप्त सभी राशियाँ;

(घ) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सभी राशियाँ लिखके अंतर्गत सहायता अनुदान भी है;

(ङ) अन्य ऐसे लोकों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियोजित विवरण जाए, सभी राशियाँ।

(2) दिव्यांगजनों के लिए निधि वा उपयोग और प्रबंध ऐसा रोति दे किया जाएगा जो विहित की जाए।

87. (1) केन्द्रीय सरकार, उचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अधिलेखों को लेखों और भारत के नियंत्रक, लोक और संसद। महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्रचल्य में जो जिहत किया जाए, निधि के लोकाओं का जारी विवरण विवरण विवरण के अंतर्गत आय और अन्य लोकों भी है, तेजार करेंगे।

(2) निधि के लोक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर संपरीक्षित किया जाएगा जो लालके द्वारा विनियोजित किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपलब्ध कियों भी अन्य का संदाय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को निधि से किया जाएगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और निधि के लोकाओं की संपरीक्षा उसके लोकों द्वारा नियुक्त कियी अन्य व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वहाँ अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी लोकाओं की संपरीक्षा के संबंध में माध्यराजनय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को आज दोहोरे हैं और विशिष्टता लेखा आइयों, संबद्ध बाउचरों और अन्य दक्षतावेतों नक्त कागज-पत्रों जो ऐसे करने की गंगा करने वाली निधि के लिये नामांकण का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या इस विभिन्न नियुक्त कियों आय अवृत्त द्वारा यथाप्रमाणित निधि के लोक, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट महित केन्द्रीय सरकार द्वारा संबद्ध के प्रत्येक वर्ष के समक्ष रखे जाएंगे।

अध्याय 15

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि

88. (1) राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि नामक एक निधि वा ऐसी रोति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, गठन किया जाएगा।

(2) दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का उपयोग और प्रबंध ऐसी रोति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) प्रत्येक राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए निधि, जिसके अंतर्गत आय और व्यय लेखे भी हैं, के द्वारा लोक और अन्य सुसंगत अधिकार ऐसी रोति में रखेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाएं।

(4) दिव्यांगजनों के लिए राज्य निपिक के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा नियंत्रित किए जाएँ और उन्हीं संघरणों के संबंध में उसके द्वारा उत्तराधिकार का विवाद भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को राज्य निपिक हो किया जाएगा।

(5) भारत को नियंत्रक महालेखापरीक्षक और दिव्यांगजनों द्वारा लिए राज्य निपिक के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में दशक द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा संपरीक्षा के संबंध में जहाँ अधिकारी, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की मंगरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को प्राप्त होते हैं और उन्होंने कौन से लेखां बाहरी, मंडद वाक्तव्यों वशा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों पर करने की मांग करने वाला राज्य निपिक की कार्यालयों का नियोक्ताण करने का अधिकार होगा।

(6) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा दिव्यांगजनों द्वारा लिए राज्य निपिक के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रामाणित राज्य निपिक के लिए उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य विधान-संसद के प्रत्येक महार के, जहाँ वह दो सदाओं से गिरकर बना है या जहाँ ऐसे विधान-संसद में एक महार है, उस सदान के समझ रखे जाएंगे।

अध्याय 16

अपराध और शास्त्रिय

अधिनियम का
इसके अधीन यन्हे
गए नियमों का
विवरण वह उपलब्ध
हो जाएंगे जो इसके
लिए होते हैं।

संगठनों द्वारा
उपलब्ध

89. (1) कोई लोक, जो इस अधिनियम या उसके अधीन जनाए गए किसी नियम के उपर्योग ना उल्लंघन करता है, पहले उल्लंघन के लिए जुर्माने से जो दश हजार रुपए तक का है सकता और किसी परचात्वती उल्लंघन के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकता, दोहरी जुर्माना होगा।

90. (1) वहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो उस अपराध के किए जाने के समय वर्षपत्रों के कारबाह के संचालन के लिए उस कंपनी का भारतीयका या और कंपनी के प्रति उत्तरदाती था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध को लिए दोषी समझे जाएंगे और अन्य विवरण वाली वार्तावाही किए जाने और तदनुसार दिल्लि किए जाने वाली भागी होंगे।

वहाँ इस उपाधान की कोई वात इस अधिनियम में उपलब्धित चिमो दंड के लिए किसी ऐसे अधिकारी को भागी नहीं जाता है, यदि वह यह साक्षित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध के नियाय के लिए सब सम्भव उपयोग बरती थी।

(2) उपाधान (1) में अंतिम दिल्लि वात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और वह साक्षित ही जाता है कि अपराध कंपनी के किसी नियेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौन-न्यूक्लियन से लिया गया है, या वह अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा का कारण गाना जा सकता है वह ऐसा। नियेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी गी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अन्य विवरण वाली वार्तावाही किए जाने और दोहरी किए जाने का भागी होगा।

स्वच्छता—इस धारा के प्रयोगों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई नियमित निकाय अभिवृत है और उसमें कोई कर्म या जरूरियों का जोड़ अन्य समाज सम्मिलित है; और

(ख) कर्म के संबंध में "नियेशक" से उत्तम कर्म का कोई आगामी वर्भवत है।

संस्थाएँ दिव्यांगजनों
के लिए अधिनियम
दिव्यांगजनों के कारबाह के
उपलब्धिक तंत्र के
लिए दंडः

आवश्यकीय के
विवरणों के लिए
दंडः

92. जो कोई—

(क) किसी लोक दृष्टिगोचर सम्बन्ध में दिव्यांगजन या यात्राय अपमानित करता है या अपमान बरने के आशय से अभिवृत करता है;

(ख) किसी दिव्यांगजन पर, उसका अनादर के आदान से हमला करता है या उन प्रयोग करता है या दिव्यांग महिला की लालना करता है;

(ग) किसी दिव्यांगजन पर वास्तविक प्रभार या नियशण संखों हुए स्वेच्छिया या जानते हुए उसे प्रोत्तर या तरल पदार्थ देने से इनकर करता है;

(घ) किसी दिव्यांग यात्रिल या महिला की इच्छा को अभिशारित करने वाली स्थिति में होते हुए और उस स्थिति का उपयोग उनका लैंगिक रूप से शोषण करने के लिए जाता है;

(ङ) किसी दिव्यांग यात्रिल या महिला की इच्छा को अभिशारित करने वाली स्थिति में होते हुए और उस स्थिति का उपयोग उनका लैंगिक रूप से शोषण करने के लिए जाता है;

(च) किसी दिव्यांग यात्रिल या महिला की इच्छा को अभिशारित करना है, उसका संचालन करता है, किए जाने के लिए या निर्देश देता है जिससे उसकी अभिव्यक्त सम्पत्ति को बिना राजनीतिक तरीके समाप्त होती है या समाज लोगों की संभावना है, किसी उन मामलों में जहां गवाहान् करते चिकित्सा व्यवस्थाओं की वाय लेकर दिव्यांगजन के नियां यात्रिलों में गवाहान् के समाज के लिए और दिव्यांग महिला के संरक्षक की सहमति से भी विकल्पों प्रशिक्षण की गई है,

ऐसे कठारास से जिसकी आवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक वही हो सकेगी और जुमानी से दृढ़नीय होगा।

93. जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश, या निर्देश के अधीन तुरन्तका, लेता या आन दस्तावेज देता करने में या कोई विवरणी, जनकारी या विशिष्टियां इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश या निर्देश के उपर्योग में पेश देता या देने वाला किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तमबद्ध है, जो पेश करने ने असाकल रहता है वह प्रत्येक अपराध की आवल जुमानी से दृढ़नीय होगा जो पञ्चांग इजार रुपए तक का हो सकता और चालू असाकलता या इकार की इकाई में अधिसंबंध जुमानी से ओ जुमानी के दंड के अधिगणन के बुल आदेश की तारीख के पश्चात् चालू असाकलता या इकार के लिए प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दृढ़नीय होगा।

जनकारी प्रस्तुत
करने से असाकल
देने के लिए दंड।

94. जो न्यायालय समूचित सरकार के सूचान्तरोंने या इस निर्धारा द्वारा प्राप्तिकृत किसी अधिनियम द्वारा प्राप्तिकृत किसी पारिवारिक के सिवाय, इस अध्याय के अधीन समूचित सरकार द्वारा किसी अधिनियम द्वारा किए जाने के लिए अधिकारी का लंजान नहीं होगा।

समूचित सरकार का
देवेन्द्रन।

95. जहां इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य कन्द्रोपय या राज्य अधिनियम के भी अधीन कोई कोई जनकारी लोप किसी अपराध को गठित करता है तब तासमय प्रयुत किसी अन्य विधि में अन्तिकृत किसी वत के होते हुए भी, ऐसे अपराध के लिए लोपी यात्रा या अपराधी कलेज ऐसे अधिनियम के दंड के लिए भागी होगा जो ऐसे दंड के लिए उपचय करता है, जो कि जिसी में अधिक है।

अनुभवी दंड।

अध्याय 17

प्रक्रीण

96. इस अधिनियम के उपर्योग, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपर्योग के शास्त्रिक होंगे न कि अन्य विधियों का लागू होना वांचित न हो।

अन्य विधियों का
लागू होना वांचित न
हो।

97. इस अधिनियम या इसके अधीन जनाए गए नियमों के अधीन सादाप्रवृत्त की गई या की जाने के लिए अन्तिकृत किसी वत के लिए कोई वरद, अधिकारी या अन्य विधिक कानूनीहितों समुचित सरकार या समुचित सरकार के विसी अधिकारी या सुन्दर आयुक्त या राज्य आयुक्त वे किसी अधिकारी या कर्मचारी के विशेष नहीं होगी।

प्रवृत्तकृत की गई¹
दरावर्दि वे लिए
संग्रह।

98. (1) यदि इस अधिनियम के उपर्योगों जो उत्तरावधि जनाने में कोई कानूनाइ उत्तरावधि होती है, तो कोन्द्रोपय कानूनाइ उत्तरावधि की गई वरदावर्दि वे लिए संग्रह।

कानूनाइ उत्तरावधि की गई¹
दरावर्दि वे लिए
संग्रह।

परंतु इस घरा के अधीन पेपर कोड आदेश इस अधिनियम के प्रांतीय हेतु को भवीत से दो वर्ष तक वही समाचार के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस घरा के अधीन किया गया प्रलेक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् वथाशीत्र लैलू के प्रलेक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची का
संशोधन करने
की शक्ति:

99. (1) समुचित समझा द्वारा नीं गई विफारियों पर या अन्यथा बाहि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाया है कि ऐसा बारा आवश्यक या समीकृत है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जरीए किए जाने पर अनुसूची द्वारा माप संशोधन को गई सनदी जाएगी।

(2) प्रत्येक ऐसा अधिसूचना इसके आगे किए जाने के पश्चात् वथाशीत्र लैलू के प्रलेक सदन के समाझ रखा जाएगा।

केन्द्रीय सरकार
को नियम बनाने
की शक्ति:

100. (1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन को जर्ते के अध्यधीन ऊपरसुन्नना द्वारा इस अधिनियम के उपचर्यों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेषज्ञाया और दूरीगामी हवालों और व्यापकता पर जटिलता प्रभाव दलते बिना ऐसे नियम, नियमिति विषयों में से सभी या किसी विषय के लिए उपचर्य कर सकें, अर्थात्—

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन दिव्यांगा अनुसंधान समिति को गठन की रैति;

(ख) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन समान अन्वसर नीति अभियुक्ति करने की रैति;

(ग) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन प्रलेक स्थापना द्वारा अधिकारी द्वारा विकायों के रैजल्ट व अनुरक्षण नीति;

(घ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन रिकायत अनुसूच अधिकारी द्वारा विकायों के रैजल्ट व अनुरक्षण नीति;

(ङ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन निधारण बोड को संरचना और उपधारा (3) के अधीन निधारण बोड द्वारा किए जाने वाले नियोगों नीति;

(च) धारा 40 के अधीन दिव्यांगजनों को पहुंच के लिए मानक अधिकारिता करने के लिए नियम;

(ज) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन दिव्यांगा व्रमाणपत्र के जरीए जाने के लिए आवेदन की रैति और उपधारा (1) के अधीन दिव्यांगा के इमानदार का प्रकार;

(झ) धारा 61 की उपधारा (6) के अधीन लैंड्रीप सलाहकार बोर्ड को नामिनीट गदरवों को सदासे किए जाने वाले भौति;

(ञ) धारा 64 के अधीन केन्द्रीय सलाहकार ओर्ड को चेटलों में वारावार के संववडार के लिए प्रक्रिया के नियम;

(ट) धारा 73 की उपधारा (4) के अधीन मूल्य आयुक्त और आयुक्तों के योग और भत्ते तथा सेवा वाली अन्य शर्तें;

(ट) धारा 74 की उपधारा (7) के अधीन नुल्ला आदुल के अधिकारियों और कमेलारिवंद के योग और भत्ते और सेवा की शर्तें;

(ड) धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन सलाहकार लैनिंग को संरचना और विशेषज्ञों और नियुक्ति की रैति;

(इ) धारा 78 की उपधारा (3) के अधीन मूल्य आयुक्त द्वारा होयार को जाने वाली और प्रमुख वी जाने वाली आर्थिक रिपोर्ट का प्रलय, रोति और अंतर्वर्त्तु;

(ग) धारा ४६ की उपधारा (२) के अधीन प्रांगण, निधि का उपयोग और प्रबंध को प्रक्रिया, दीति;

(द) धारा ४७ की उपधारा (१) के अधीन निधि के लेखाओं की तैयारी के लिए प्रक्रम।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, अन्न जाने के गश्वार् यथावौष्ठ, संसद् के प्रत्येक सदन के समझ, अब वह सब में ही, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में आवधि हो या अधिक आनुकूलिक सत्रों में पूरी ही सकेंगे। यदि उस सत्र के या पूर्वोत्तर आनुकूलिक सत्रों के दौरान शाद के उपयोग की पूर्व दोनों सदन द्वारा नियम में कोई घोषणात्मक घटने के लिए महाता हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही रखावी होगा। यदि उस अवसर के पूर्व दोनों सदन लहरत हो जाएं तो यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियमावधि हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या नियमावधि होने से उसके अधीन पहले बीं गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

101. (१) राज्य सकार अधिकूल हर्ष प्रकाशन को शत के अधिकोन इस अधिनियम के प्रारंभ की राज्य सकार की तारीख ये यह नाम से अनधिक रूप अधिकृत की आश्चात् इस अधिनियम के उपयोग को कार्यान्वयित करने के लिए नियम बना सकेंगे।

(२) विशेषताएँ और पूर्वगामी शक्तियों की ज्ञापकता पर प्रतिकूल प्रभाव द्वाले बिना ऐसे नियम नियमित सभी विषयों या किसी लिपन के लिए उपचाय कर सकेंगे, अथवा—

(क) धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन दिज्जन्ता अनुसंधान के लिए विधियों के गहन की रैति;

(ख) धारा १४ की उपधारा (१) के अधीन किसी संगठित संस्कृत को सहायता उपलब्ध कराने की रैति;

(ग) धारा ३१ की उपधारा (१) के अधीन राजस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए किसी अवैदेन को करने का उपरांग और दीति;

(घ) धारा ५१ की उपधारा (३) के अधीन राजस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए संस्कृत द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ और पूरे किये जाने वाले मानक;

(ङ) धारा ५१ की उपधारा (४) के अधीन राजस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता, राजस्ट्रीकरण के उपायपत्र से संलग्न प्रलूप और दीति;

(च) धारा ५१ की उपधारा (७) के अधीन राजस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के नियम की अवधि;

(ज) वह अवधि विसके भीतर धारा ५३ की उपधारा (१) के अधीन अपील का जारी;

(ज) धारा ५९ की उपधारा (१) के अधीन प्रमाणकर्ता डाक्टिकारी की अदेश के विरुद्ध अपील का अपयोग और दीति और उपधारा (२) के अधीन ऐसी अपील के नियम की रैति;

(झ) धारा ६७ की उपधारा (६) के अधीन राज्य सलाहकार और कार्यकारी नामिंदाद नामांकन को संदर्भ किए जाने वाले भने;

(ज) धारा ७० के अधीन राज्य सलाहकार और कार्यकारी नामिंदाद नामांकन के संज्ञवहर के लिए प्रक्रिया के नियम;

(क) धारा ७२ के अधीन निला स्तर, समिति की संरचना और वृत्त;

(ख) धारा ७९ की उपधारा (१) के अधीन राज्य आपूर्ति का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अवधि शर्तें;

(द) धारा ७९ की उपधारा (३) के अधीन राज्य आपूर्ति के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(इ) धारा ७९ की उपधारा (७) के अधीन सलाहकार समिति जो संसद और विधेयकों की नियुक्ति की रैति;

(प) धारा 83 की उपधारा (१) के अधीन राज्य भाषुका द्वारा तैयार की जाने वाली और प्रस्तुत जी जाने वाली जारीका और विशेष गिरोहों का प्रलय, गिरि और अंतर्वस्तु।

(ट) धारा 85 की उपधारा (२) के अधीन विशेष लोक अधिकारीजल को संदर्भ की जाने वाली कीमत या परिश्रमिक।

(ब) धारा 88 की उपधारा (१) के अधीन दिव्यांगजनों के लिए राज्य निर्भूत के गहर की तैयारी और उपधारा (२) के अधीन राज्य निर्मित उपचारों और घटवन का रोक।

(द) धारा 88 की उपधारा (३) के अधीन दिव्यांगजनों के लिए राज्य निर्मित के खातों को तैयार करने वाले प्रलय।

(३) इस अधिनियम को अधीन राज्य लरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के मुख्य अधिकारी या उनके विधान-मंडल के समझ जहाँ दो सदन हैं, वहाँ प्रत्येक सदन के समझ और जहाँ राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, उस सदन के समझ रखा जाएगा।

निराकार
आवृत्ति।

102. (१) निश्चल ज्योति (समाज जनसंघ, अधिकारी संरक्षण और गृही भागीदारों) अधिनियम, 1995-1996 का।
इसके द्वारा निराकार किया जाता है।

(२) इस अधिनियम के प्रत्येक नियम वो होते हुए ही, उस अधिनियम के अधीन की गई कोई जात या की गई कोई जारीका हम अधिनियम के विवाहों द्वारा दी गई कोई जात या की

‘अनुमूली’

[भाग 2 का खंड (बग) वेलिए।]

विनिर्दिष्ट दिव्यांगता

1. शारीरिक दिव्यांगता—

(अ) गतिविधक दिव्यांगता (यन्मिश्रित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति को असमर्थता जो स्वयं और वयस्त्रों को गतिशीलता से पहचान है जिसका परिणाम पैशोकलाल और तांत्रिक प्रणाली या दोनों में पीड़ि है), चिलके अंतर्गत—

(क) “कुछ रोगमुक्त व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिषेत है जो कुछ से रोगमुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है—

(i) हथ या पैरों में सुझाईकरण का त्रैम के भाष्य साथ आंख और पहाड़ में सुपरीकरण का दृश्य और आंशिक पात किंतु उपर विकला नहीं है;

(ii) ज्यवत विकला और आंशिक पात किंतु उपर हाथों और दौरे में गवाह गतिशीलता है जिसमें वह लामान्य ज्यावमाधिक क्रियाकलापों में लां रहने के लिए सक्षम है;

(iii) अत्यंत शारीरिक विरुद्धता को माथ-माथ लूट जो उन्हें कोई लाभपूर्व व्यवसाय बनाने से निवारित करती है और “कुछ रोगमुक्त व्यक्ति” पद का तदनुसार भर्य लागाया जाएगा;

(iv) “प्रयोगिक जात” से कोई गैर प्रगानी निकिका गिरावत का समूह अभिषेत है जो शरीर के संचलन को और पैरोंगों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मांसिक के एक या वाधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है जो लाघारणतः जन्म दे पूर्व जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होता है;

(v) “ब्रोनास्ट” से कोई चिकित्सीय या अनुकूलिक दशा अभिषेत है जिसके परिणामस्फूर्त विली वर्षक व्यक्ति जो लंबाई चार फीट दर इच (147 सेमी) या उपर्ये कम रह जाती है;

(vi) “पैशीयटुयोग” से बंशानुग्रह, आनुवांशिक पैशी गैर या समूह अभिषेत है जो मानव शरीर की संरचित करने वाली पैशियों को कमज़ोर कर देता है और लहूतुयोग के रैगो ज्यवितयों के जीव में वह लूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो तन्हे उप ग्रोटों को बनाने से निवारित करती है जिसकी तरफ स्वस्थ पैशियों के लिए आवश्यकता होती है, इष्यकी विशेषता प्रगानी कंकाल गैरों की कालेज, पैशी ग्रोटों में नुक्ति और वर्ण बोशिकाओं और टिशुओं को मूल्य है;

(vii) “तेजाची भ्रान्तिय और्डिनेट” से तेजाची या स्वान मंशारित भ्रान्ति को फैक्कर किए गए, जिसक हमले के कारण विद्युतित कोइ व्यक्ति अभिषेत है;

(आ) दूषितगत रुक्ष—

(क) “अंधाल” से ऐसी दशा अभिषेत है जिसमें मर्दीन्म सुधार के पश्चात व्यक्ति ये निम्नलिखित स्थितियों में हो कोई एक मिथि विद्यमान होती है,—

(i) दूषित का पृष्ठताया अभाव, या

(ii) स्वाधिक संख्या युधार के माथ बेहत और में दूषित सुतोदाहरण 3/60 से कम या 10/200 (लेलन) से कम; या

(iii) 10 लिंगों में कम के लिंगों वोण और कहेतारत दृश्य शोड की परिसीमा;

(ख) “निम्न दूषित” से ऐसी मिथि अभिषेत है जिसमें व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई एक व्यक्ति होती है, अथाव—

(i) बैहक और मैं यात्रीयिक संभव मुझे के साथ 6/18 से अनंथित या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेहन) तक दृश्य सुलोक्यना; या

(ii) 40 दिनों से कम से 10 दिनों तक को पाखंतलि दृष्टि को क्षेत्र परिसीमा;

(iii) "अवग शक्ति का द्वय" —

(क) "बैधिर" से दोनों कानों में भौवद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य सम वाले अवित अभिगत हैं;

(ख) "कंचा सुनने जाला अवित" से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य हृष्ट वाला अवित अभिगत है;

(द) "जल और धापा दिव्यांगा" में लैराइनेजेशनों या अर्केलिया वैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिगत है जो काव्यिक या त्रिका संबद्ध वारपी के कारण जाल और धापा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. "बीड़िल दिव्यांगत" से ऐसा प्रियता, जिसकी विशेषता बीड़िल कार्य (तारिक, हित्तण, समाधान) और अनुवृत्ति अवलोकन है जो काव्यिक या त्रिका संबद्ध वारपी के कारण जाल और धापा के एक या अधिक संघटकों को देखते हैं जिसके अंतर्गत—

(क) "विनीटिष्ठ विद्या दिव्यांगताओं" से विशेषतायों का एक ऐसा विजातीय घटना अभिगत है जिसमें मामा को बोलने वा लिखने वा प्रियता दाया आतेखुन करने की क्षमी विहान छोती है जो सप्ताहे, चंदने, महुआ, लिखने, अर्थ लिखालने या गणितीय गणना वारने में क्षमी के हृष्ट में साधन धूली है और इसके अताराह ग्राहक दिव्यांगता द्वायसेलेविषया, दावसुरप्रिया, डायलॉनिकुलिया, दायसप्रोसिया और विकामातपक अफेमिया वैसी स्थितियां भी हैं;

(ख) "स्वप्न व्यणता स्वैक्षण्य लिकार" से एक ऐसा त्रिका विकास की विवित अभिगत है जो विशिष्ट जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति को संपर्क करने की, संवेदों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने को क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्राप्य या चिसे-पिटे वास्तव हो या अवलोकन से महबूद होता है।

3. मानसिक व्यवहार,—

"मानसिक रुणता" से वित्त, यनोदशा, चौथ, अभियोगकरण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिगत है जो जीवन जीवनशक्तियों को पूरा करने के लिए समय हृष्ट में निर्भय, अवलोकन, वास्तविकता को पहचन ज्ञाने की क्षमता या दोनों वो प्रभावित करता है किन्तु जिसके अंतर्गत मानसिक बदला नहीं है जो किसी लाइन के नियम का विज्ञान रूपन या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशेषता बुद्धिमत का यामान से कम होना है।

4. निन्दितावित के कारण दिव्यांगत—

(क) विकारी त्रिका रूपाएं, जैसे—

(i) "बहु र्क्षेत्रेशिक" से बहुरक, तंत्रिका ग्रामली से अभिगत है जिसमें मन्त्रिक की तंत्रिका कोशिकाओं को अक्ष तंत्रिकों के जारी और रीढ़ या हड्डी को मावलिन सीधे खलियारा हो जाती है जिसमें डिमायेलिनेशन होता है और मन्त्रिक में तंत्रिका वीशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं का एक-दूसरे के भाय संपर्क करने को क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) "पारिस्पन रोग" से कोई तंत्रिका प्रणाली या प्रणाली रोग अभिगत है, जो कम्प, पेशी क्लोस्टा और धीमा, कर्ति, संत्तेन द्वाय विन्दूकित होता है जो मुख्यतया मन्त्रिक के आधारीय गणिकों के अवकाश तथा तंत्रिका संचलन द्वायांसे के हृष्ट में महबूद नभ्य आगु और चूड़ व्यक्तियों को प्रभावित करता है;

(ख) रक्त विकृति—

(i) "हेमोफोलिया" से एक अनुवर्णशल्लीय रोग अधिकृत है जो प्रायः पुलें को ही प्रभावित करता है जिसे इसे साहित द्वारा अपने नर बालकों को संबोधित किया जाता है, इसकी प्रियेषता रक्त के थलकों जमने की साथारन जमना का नुकसान होता है जिससे लोटे से भाव का वरिणाम भी मात्रक रक्तसाक्ष हो सकता है;

(ii) "थलेसीविटि" से जैशानुग्रह विकृतियों का एक समूह अधिकृत है जिसकी विशेषता डिग्गलोविन की कमी या अवायर है;

(iii) "डिक्कल बोडिका रोग" से हमोलोटिक विकृत आधिकृत है जो रक्त की उत्पत्ति कमी, एड्रेडायल जटनाओं और जो राहगद्वय उत्पन्नों और अंगों को नुकसान से विभिन्न अविलायती में परिवर्तित होता है; "हेमोलोटिक" लाल रक्त लोटिशनों की बोडिका डिक्कलों के नुकसान को निर्देश देता है जिसका परिणाम डिग्गलोविन का निकलना होता है।

5. अद्वैद्यांगता (उत्तरवृक्ष एक या एक से अधिक विनिर्दित उत्तरांगताएं) जिसके उत्तरांत व्यधिता, अंधता, विसर्जन कोई ऐसी दशा विसर्जन में किसी व्यक्ति के अव्य और दृश्य के साम्पर्क हूस के कारण गंभीर स्फोरण, विकास और रिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं जापिएत हैं।

6. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किए जाएं।